



बैंक खातों को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें

यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड अरब अमीरात (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) द्वारा ग्राहक के लिए यहाँ उल्लिखित कोई अकाउंट खोलने और/या कोई अन्य उत्पाद या सेवा उपलब्ध कराने पर सहमत होने के बदले, ग्राहक एतद्वारा सहमत होता है कि ये नियम और शर्तें ("नियम और शर्तें") यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड अरब अमीरात की एक या अधिक शाखाओं द्वारा खोले गए खातों को नियंत्रित करेंगी।

बैंक के अकाउंट खोलने के फॉर्म और आवेदनों पर ग्राहक के हस्ताक्षर, बैंक द्वारा दिए जाने वाले किसी भी सेवा/उत्पाद के लिए सदस्यता लेने और/या उसका उपयोग करने तथा बैंक के साथ या बैंक के माध्यम से किसी भी लेन-देन को करना, समय-समय पर संशोधित इन नियम और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।

A. सामान्य शर्तें

1. परिभाषाएँ

इन नियम और शर्तों में नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग किए जाने पर उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"अकाउंट्स" का अर्थ बैंक द्वारा ग्राहक के नाम पर खोला गया अकाउंट/अकाउंट है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से खोला गया हो या किसी अन्य ग्राहक के साथ संयुक्त रूप से, जिसमें करंट या सेविंग्स अकाउंट, कॉल, टाइम या फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल है। "अकाउंट खोलने का फॉर्म" का अर्थ बैंक द्वारा निर्धारित वह फॉर्म है, जिसे ग्राहक द्वारा बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जमा किया जाना है।

"कॉल अकाउंट्स" का अर्थ वह कॉल खाता है, जिसे ग्राहक ने यहाँ दी गई धारा 23.2 के अनुसार बैंक में खोला है।

"ग्राहक" का अर्थ कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह अकेले या संयुक्त रूप से हो, जिसमें व्यक्ति, नाबालिग, अनपढ़ व्यक्ति, एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय, साझेदारी, सीमित देयता वाली कंपनी, निजी या सार्वजनिक सीमित कंपनी, किसी विदेशी कंपनी की शाखा, सरकार या सरकारी विभाग, क्लब, एसोसिएशन, स्कूल, संयुक्त उद्यम या बैंक में अकाउंट खोलने वाला कोई अन्य व्यक्ति या संस्था शामिल है।

"ग्राहक बीमा सूचना" का अर्थ बैंक द्वारा मुकम्मल अकाउंट खोलने वाले सभी ग्राहकों को प्रदान किया गया वह दस्तावेज़ है, जिसमें बीमा कवर उपलब्ध कराने के नियम और शर्तों का विवरण दिया गया है।

"बीमा कवर" का अर्थ बीमा प्रदाता द्वारा मुकम्मल अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को दिए जाने वाला जीवन बीमा कवर है, जो ग्राहक बीमा सूचना में दिए गए नियम और शर्तों के अधीन है।

"बीमा प्रदाता" का अर्थ समय-समय पर बैंक द्वारा पुष्टि किया गया बीमा प्रदाता है। "मुकम्मल अकाउंट" का अर्थ मुकम्मल बेसिक अकाउंट, मुकम्मल पर्सनल अकाउंट और मुकम्मल प्लस अकाउंट है, जिन्हें ग्राहक ने यहाँ दी गई धारा 23(D) के अनुसार बैंक में खोला है। इनमें से प्रत्येक को "मुकम्मल अकाउंट" कहा जाएगा।

"सेविंग्स अकाउंट" का अर्थ वह सेविंग्स अकाउंट है, जिसे ग्राहक ने यहाँ दी गई धारा 23.1 के अनुसार बैंक में खोला है।

"टाइम डिपॉजिट अकाउंट" का अर्थ वह डिपॉजिट अकाउंट है, जिसे ग्राहक ने यहाँ दी गई धारा 23.2 के अनुसार बैंक में खोला है।

"यूबीएल डेबिट कार्ड" से आशय बैंक द्वारा जारी किए गए स्वचालित टेलर मशीन कार्ड या डेबिट कार्ड से है।

"यूनिवर्सल अकाउंट्स" का अर्थ बैंक द्वारा योग्य ग्राहकों को लागू CBUAE आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाने वाला आईडी में संचालित करंट अकाउंट है, जिसमें चेक-बुक या न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. संयुक्त अकाउंट्स

2.1 नाम

ग्राहक सहमत है कि किसी अकाउंट्स का नाम किसी व्यक्ति को उस विशेष चालू, बचत, कॉल, फिक्स्ड या अन्य अकाउंट्स से मिलने वाले लाभ का कोई अधिकार नहीं देगा और अकाउंट खोलने का फॉर्म यह निर्धारित करेगा कि संबंधित अकाउंट अकेले संचालित किया जाएगा, संयुक्त रूप से, निश्चित रूप से या किसी अन्य तरीके से। संयुक्त अकाउंट्स के प्रत्येक धारक (यदि एक से अधिक हों) एतद्वारा अन्य धारक/धारकों को बैंक में जमा करने के लिए और किसी एक या सभी संयुक्त अकाउंट धारकों से संबंधित या उनके नाम पर होने वाले किसी भी चेक, नोट्स या अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज़ को राशि के भुगतान के लिए एंडोर्स करने और जमा करने के लिए अधिकृत और सशक्त करता है।

2.2 विरोधाभासी निर्देश

यदि बैंक को अकाउंट्स के संबंध में अलग-अलग हस्ताक्षरकर्ताओं से विरोधाभासी निर्देश प्राप्त होते हैं, तो बैंक को अपने विवेकाधिकार पर अकाउंट के संचालन को अस्थायी रूप से रोकने, पहले निर्देश के अनुसार कार्य करने या किसी भी निर्देश पर कार्यवाई करने से पहले सभी संयुक्त अकाउंट धारकों से नया आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता रखने का अधिकार होगा।

2.3 संयुक्त अकाउंट धारक की अक्षमता

यदि किसी संयुक्त अकाउंट धारक की मृत्यु हो जाती है या वह अपनी कानूनी क्षमता खो देता है, तो उसके जीवित संयुक्त अकाउंट धारक बैंक को मृत्यु या कानूनी क्षमता खोने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सूचित करेंगे। बैंक द्वारा ऐसे दस्तावेज़ प्राप्त होने तक अकाउंट्स का संचालन निलंबित रहेगा, जो बैंक को यूपई कानून के अनुसार सफल उत्तराधिकार या अक्षम संयुक्त अकाउंट धारक के प्रतिनिधित्व के बारे में संतुष्ट करते हों। ऐसी सूचना बैंक को संयुक्त अकाउंट धारकों से प्राप्त होने से पहले किए गए किसी भी निकासी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

2.4 ओवरड्राफ्ट

अकाउंट्स पर किया गया कोई भी ओवरड्राफ्ट या अन्य देयता सभी संयुक्त अकाउंट धारकों की संयुक्त और अलग-अलग जिम्मेदारी होगी।

3. जमा

3.1 बैंक ग्राहक के अकाउंट्स में नकद/चेक की वह राशि जमा करेगा, जिसे ग्राहक इस उद्देश्य से जमा

कर सकता है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा जमा की गई किसी भी राशि को ग्राहक के अकाउंट्स में जमा कर सकता है। ऐसी नकद जमा राशि, जिसका बैंक द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है, बैंक द्वारा स्वीकार की जाएगी, लेकिन बैंक द्वारा सत्यापन के अधीन होगी। बैंक का सत्यापन नकद जमा की राशि के संबंध में निर्णायक होगा।

3.2 बैंक में ग्राहक द्वारा जमा किए गए चेक, पोस्ट-डेटेड चेक और ऐसे केंद्रों पर जारी किए गए चेक, जहाँ बैंक की कोई शाखा नहीं है, की राशि ग्राहक के अकाउंट्स में अस्थायी रूप से जमा की जाएगी, बशर्ते कि चेकों की वसूली और बैंक को प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि का क्लियर होना बाकी हो।

3.3 यदि उक्त चेकों में से कोई भी चेक किसी भी कारण से अस्वीकृत हो जाता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ग्राहक के अकाउंट्स से उस चेक की राशि के साथ-साथ उस तारीख से ब्याज भी डेबिट करे, जिस तारीख को उक्त राशि ग्राहक के अकाउंट्स में जमा की गई थी, उस तारीख तक जब बैंक द्वारा उसकी रिकवरी की जाती है। इसके अतिरिक्त, लागू हैंडलिंग शुल्क भी ग्राहक के अकाउंट्स से डेबिट किया जाएगा।

3.4 ग्राहक की मृत्यु, अक्षमता, दिवालियापन या किसी अन्य समान कार्यवाही की स्थिति में, बैंक ऐसे ग्राहक के अकाउंट्स में जमा राशि पर अनुबंधित/सहमत ब्याज दर को जमा की निर्धारित/सहमत अवधि समाप्त होने तक लागू करता रहेगा। इसके बाद, ऐसी जमा राशि पर लागू ब्याज दर को बैंक द्वारा समय-समय पर समान/समान अवधि की जमा राशि के लिए घोषित बेस रेट में बदल दिया जाएगा।

4. निकासी

4.1 निकासी सिर्फ ऐसे आदेश प्रस्तुत करने पर ही की जा सकती है, जिन्हें बैंक उनके फ्रॉन्ट और हस्ताक्षर के आधार पर स्वीकार करता हो, या स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों से की जा सकती है। अकाउंट्स से निकासी से संबंधित किसी भी प्रकार की सभी लागत, शुल्क और खर्च ग्राहक द्वारा बिना किसी कटौती या समायोजन के, मांग किए जाने पर तुरंत पूरे भुगतान किए जाएंगे या संबंधित अकाउंट्स से डेबिट किए जाएंगे।

4.2 बैंक को किसी अकाउंट्स पर जारी किए गए किसी भी चेक का भुगतान स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा विवेकाधिकार होगा, यदि उस अकाउंट्स में चेक की राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट उपलब्ध नहीं है।

4.3 यदि बैंक की किसी यूएई शाखा में चेक या निकासी फॉर्म प्रस्तुत किया जाता है, जो उस शाखा से अलग है जहाँ अकाउंट रखा गया है ("गैर-अकाउंट शाखा"), तो बैंक के पास उस गैर-अकाउंट शाखा में प्रस्तुत चेक का भुगतान करने या उसे अस्वीकृत करने का विवेकाधिकार होगा।

5. वसूली

नकद के अलावा किसी अन्य वस्तु को जमा के लिए स्वीकार करते समय, बैंक सिर्फ ग्राहक के कलेक्शंस एजेंट के रूप में काम करेगा और उसकी वसूली के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। नकद के अलावा किसी भी जमा राशि की प्राप्त राशि ग्राहक को निकासी के लिए तभी उपलब्ध होगी, जब बैंक को क्लियर फंड प्राप्त हो जाए। बैंक को निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं:

5.1 प्रत्येक वस्तु को बैंक की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वसूली के लिए भेजना;

5.2 छुट्टियों के दिन किसी भुगतान न होने या अस्वीकृत होने की स्थिति में उसे प्रस्तुत करने, भुगतान की मांग करने, वसूली करने या उसकी सूचना देने से बचना;

5.3 ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किसी भी वस्तु को वसूली के लिए स्वीकार करने से इनकार करना; और

5.4 ऐसे किसी भी चेक या दस्तावेज़ की राशि अकाउंट से डेबिट करना, जिसकी राशि पहले अकाउंट्स में जमा की गई हो लेकिन बाद में उसका भुगतान न हुआ हो।

6. शुल्क की अनुसूची

ग्राहक शुल्क की अनुसूची प्राप्त होने की पुष्टि करता है और पूरी तरह समझता है कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर समय-समय पर शुल्क की अनुसूची में संशोधन कर सकता है, और बैंक द्वारा संशोधित शुल्क की अनुसूची ग्राहक पर बाध्यकारी होगी। बैंक ग्राहक को शुल्क की अनुसूची में किसी भी संशोधन के बारे में पहले से सूचना देगा। बैंक किसी भी समय किसी अकाउंट्स, उत्पाद या सेवा पर लागू ब्याज दर, शुल्क या अन्य राशि में संशोधन कर सकता है। यदि किसी भी समय, किसी भी कारण से, किसी महीने के दौरान किसी अकाउंट्स का बैलेंस बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम बैलेंस सीमा से कम हो जाता है, तो ग्राहक को बैंक के लागू सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा और बैंक को यह शुल्क अकाउंट्स से डेबिट करने का अधिकार होगा। बैंक किसी अकाउंट्स में मौजूद डेबिट बैलेंस पर बैंक की उस समय लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज ले सकता है।

7. क्रेडिट और डेबिट

7.1 बैंक किसी अकाउंट्स को डेबिट कर सकता है, भले ही इससे डेबिट बैलेंस बनता हो या उसमें बढ़ोतरी होती हो, हालांकि ग्राहक द्वारा जारी किए गए किसी चेक का भुगतान करने के लिए बैंक तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि ग्राहक के साथ पहले से कोई व्यवस्था न हो या अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस बढ़ाने के लिए बैंक की पूर्व सहमति न हो। ग्राहक हर समय किसी अकाउंट्स में मौजूद डेबिट बैलेंस और अकाउंट्स से उत्पन्न होने वाली या उससे संबंधित सभी देनदारियों के लिए जिम्मेदार होगा।

7.2 बैंक को तब तक किसी अकाउंट्स में क्रेडिट करने की बाध्यता नहीं है, जब तक बैंक को संबंधित और अंतिम भुगतान क्लियर फंड के रूप में प्राप्त न हो जाए। यदि बैंक ऐसा भुगतान प्राप्त होने से पहले कोई क्रेडिट करता है, तो वह उस क्रेडिट की पूरी या कुछ राशि (उस पर प्राप्त किसी भी ब्याज सहित) को वापस ले सकता है, अकाउंट्स में उचित एंटी कर सकता है और किसी भी डेबिट बैलेंस के बराबर राशि की, जिसमें लागू ब्याज, शुल्क और खर्च शामिल है, पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है। यदि बैंक को सूचना मिलती है कि किसी अकाउंट्स में क्रेडिट की गई राशि अनक्लियर फंड है और ग्राहक ने उक्त अनक्लियर फंड के क्रेडिट के बाद राशि निकाल ली है, जिसके कारण अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट हो गया है (या मौजूदा ओवरड्राफ्ट की राशि बढ़ गई है) या अकाउंट बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम शेषराशि से कम हो गया है, तो



बैंक शुल्क अनुसूची में बताए अनुसार ग्राहक से ब्याज, शुल्क और खर्च ले सकता है।

7.3 बैंक ग्राहक को 30 दिन की लिखित सूचना देकर किसी भी क्रेडिट सुविधा को रद्द कर सकता है। अकाउंट बंद होने पर और अन्यथा बैंक की मांग पर, ग्राहक बैंक को तुरंत पर्याप्त उपलब्ध धनराशि हस्तांतरित करेगा, ताकि अकाउंट्स में मौजूद किसी भी डेबिट बैलेंस या किसी क्रेडिट सुविधा के विस्तार से संबंधित किसी भी ब्याज, शुल्क या अन्य बकाया राशि को पूरा किया जा सके।

7.4 बैंक किसी ऐसे अकाउंट्स से डेबिट करने के लिए बाध्य नहीं है, जिससे डेबिट बैलेंस बन सकता है या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यदि किसी भी समय किसी अकाउंट्स में डेबिट की जाने वाली कुल राशि के कारण डेबिट बैलेंस बन जाता है या अकाउंट्स में तुरंत उपलब्ध धनराशि से अधिक हो जाता है, तो बैंक यह तय कर सकता है कि वह कौन-से डेबिट करेगा, चाहे पूरे या कुछ हिस्से में और जिस क्रम में वह चुने।

8. लागत

8.1 बैंक समय-समय पर ग्राहक को प्रदान की गई बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में अपनी लागत और शुल्क की राशि ग्राहक के किसी भी अकाउंट्स से डेबिट कर सकता है या अन्यथा सहमत तरीके से वसूल कर सकता है। ऐसी लागत और शुल्क बैंक की उस समय लागू शुल्क अनुसूची के अनुसार लिए जाएंगे।

8.2 बैंक ग्राहक से कुछ खातों में न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने की मांग कर सकता है और यदि ऐसे अकाउंट्स में शेषराशि न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकताओं से कम हो जाती है, तो सेवा शुल्क लगा सकता है।

9. हस्तांतरण / ट्रांसफर

9.1 ग्राहक द्वारा जमा की गई या ग्राहक के नाम पर रखी गई राशि को बैंक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना ग्राहक किसी तीसरे पक्ष को सुरक्षा के रूप में असाइन या चार्ज नहीं कर सकता।

9.2 U.A.E. का कानून लाभकारी स्वामित्व को मान्यता नहीं देता है और किसी अकाउंट्स के संबंध में किया गया कोई कथित ट्रस्ट या लाभकारी हित का सृजन बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

10. दायित्व

10.1 यदि करें, शुल्कों या मूल्य में कमी के कारण ग्राहक के अकाउंट्स में क्रेडिट की गई धनराशि का मूल्य कम हो जाता है, तो बैंक ग्राहक के प्रति इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

10.2 ग्राहक के निर्देशों पर बैंक द्वारा किए गए सभी लेन-देन ग्राहक के खर्च और जोखिम पर होंगे। बैंक ग्राहक के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा यदि करें, शुल्क या मूल्य में कमी के कारण अकाउंट्स में क्रेडिट की गई धनराशि का मूल्य कम हो जाता है। यदि ग्राहक किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ है, तो ग्राहक इसके लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

10.3 ग्राहक की मृत्यु, अक्षमता, विघटन, दिवालियापन या किसी अन्य समान कार्यवाही की स्थिति में, बैंक अकाउंट्स में किए गए किसी भी लेन-देन से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक को इसकी लिखित सूचना संतोषजनक सहायक दस्तावेजों के साथ प्राप्त न हो जाए। ऐसी सूचना और संतोषजनक सहायक दस्तावेज प्राप्त होने पर, बैंक आवश्यक कार्रवाई किए जाने तक और लागू कानूनों के अनुसार अकाउंट्स से संबंधित सभी लेन-देन रोक देगा।

10.4 ग्राहक किसी भी करेंसी में रखे गए अकाउंट्स के संबंध में सभी लागतों, खर्चों और जोखिमों को स्वीकार करता है, जिसमें किसी भी लागू कानूनी या नियामकीय प्रतिबंध, चाहे वे अंतरराष्ट्रीय हों या घरेलू शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। बैंक इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। विदेशी करेंसी के नोटों में निकासी संबंधित बैंक शाखा में उनकी उपलब्धता के अधीन होगी। एक करेंसी से दूसरी करेंसी में रूपांतरण लेन-देन की तारीख और समय पर बैंक की लागू विनियम दर के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित करता है।

11. विवरण

11.1 ग्राहक को अकाउंट्स का मासिक / त्रैमासिक / इलेक्ट्रॉनिक विवरण प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विवरण बैंक की वेबसाइट पर संबंधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है।

11.2 ग्राहक को बैंक द्वारा दिए गए सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी होगी और किसी भी त्रुटि या विसंगति की सूचना बैंक को लिखित रूप में उस तारीख से तीस (30) दिनों के अंदर देनी होगी, जिस तारीख को अकाउंट्स का विवरण ग्राहक को सामान्य रूप से भेजा गया होता।

11.3 यदि ग्राहक ऊपर बताई गई अवधि के भीतर बैंक को सूचित नहीं करता है, तो बैंक द्वारा जारी सभी विवरण सही माने जाएंगे।

11.4 यदि ग्राहक को किसी अवधि का अकाउंट विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अकाउंट्स का विवरण बैंक से उस तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर मांगे, जिस तारीख को ऐसा अकाउंट विवरण सामान्य रूप से ग्राहक को भेजा गया होता।

11.5 यदि ग्राहक को अकाउंट विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक से विवरण मांगने की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

12. अकाउंट्स को फ्रीज़ करना, निष्क्रिय अकाउंट्स और अकाउंट्स बंद करना

12.1 बैंक किसी भी अकाउंट्स को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बंद कर सकता है, बशर्ते कि वह बैंक के पास पंजीकृत ग्राहक के पते पर ग्राहक को साठ (60) दिन पहले लिखित सूचना दे। अकाउंट बंद होने पर, बैंक किसी भी शुल्क की कटौती करने के बाद, बंद अकाउंट्स में मौजूद क्रेडिट बैलेंस (यदि कोई हो) के संबंध में ग्राहक के प्रति अपनी देयता समाप्त कर देगा। अकाउंट बंद होने के बाद, बैंक अकाउंट्स में उपलब्ध क्रेडिट बैलेंस, यदि कोई हो, में से लागू शुल्क काटकर, बैंक के पास पंजीकृत ग्राहक के पते पर ग्राहक के नाम ड्राफ्ट जारी करके और डाक से भेजकर ग्राहक के प्रति अपनी देयता समाप्त करेगा। यदि अकाउंट्स में बकाया राशि है, तो बैंक की सूचना प्राप्त होते ही ग्राहक बैंक को ग्राहक द्वारा देय राशि का तुरंत भुगतान करेगा।

12.2 ग्राहक द्वारा किसी भी नियम और शर्त या यूआई के कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने पर, या यदि बैंक अपने विवेकाधिकार से यह निर्धारित करता है कि अकाउंट्स में रखी गई कोई भी धनराशि अवैध साधनों या लेन-देन के माध्यम से प्राप्त की गई है। बैंक को अकाउंट्स या अन्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित किसी भी संदिग्ध या पुष्टि किए गए मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य संदिग्ध या अवैध गतिविधियों या लेन-देन की रिपोर्ट यूआई में सक्षम प्राधिकरणों को करनी होगी। ग्राहक आगे सहमत है कि बैंक को यूआई के किसी भी सेंट्रल बैंक इस्ट्रक्शन के अनुपालन में बैंक के पास ग्राहक के किसी भी अकाउंट्स में मौजूद क्रेडिट बैलेंस को फ्रीज़ करने का अधिकार होगा।

12.3 यदि ग्राहक अकाउंट बंद करना चाहता है, तो ग्राहक को बैंक को सात (7) दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, जिस पर सभी संयुक्त अकाउंट धारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यदि लागू हो, और इसमें अकाउंट बंद करने के निर्देश स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए।

12.4 किसी भी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकरण के आदेश पर भी अकाउंट बंद किया जा सकता है।

12.5 यूआई के नियमों के अनुसार, यदि एक वर्ष की अवधि के दौरान अपर्याप्त धनराशि के कारण कोई चार (4) चेक वापस/बाउंस हो जाते हैं, तो अकाउंट बंद किया जा सकता है और यूआई सेंट्रल बैंक को सूचित किया जाएगा।

12.6 ग्राहक एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि बैंक को किसी भी ऐसे अकाउंट्स को समाप्त करने, फ्रीज़ करने या बंद करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके लिए बैंक की आवश्यकताओं और निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी या दस्तावेज़ ग्राहक द्वारा समय पर जमा या अपडेट नहीं किए गए हैं।

12.7 इन नियम और शर्तों के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ग्राहक को लिखित सूचना देकर किसी अकाउंट्स को बंद करने का हकदार है, यदि अकाउंट्स में लगातार छह (6) महीने की अवधि तक कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ग्राहक सहमत है कि अकाउंट बंद करने के संबंध में बैंक की कार्रवाई ग्राहक के लिए उस सूचना में बताई गई तारीख से प्रभावी और बाध्यकारी होगी। भले ही, ग्राहक को उक्त सूचना प्राप्त न हुई हो। ग्राहक अपने किसी भी ऐसे अधिकार को अपरिवर्तनीय रूप से त्यागता है, जिसके आधार पर वह बैंक के खिलाफ अकाउंट बंद करने के बैंक के फैसले को चुनौती दे सकता है।

12.8 बैंक अपने विवेकाधिकार पर ऐसे किसी भी ग्राहक अकाउंट्स को निष्क्रिय कर सकता है, जिसमें बैंक द्वारा निर्धारित अवधि तक ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं किया गया हो, और ऐसे मामलों में बैंक की उपयुक्त कार्रवाई ग्राहक की धनराशि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक मानी जाएगी। किसी अकाउंट्स को निष्क्रिय किए जाने के बाद, ग्राहक को अकाउंट दोबारा सक्रिय कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उस बैंक शाखा में जाना होगा जहाँ अकाउंट रखा गया है।

12.9 यदि अकाउंट सीबी परिपत्र # 01/2020 दिनांक 15-जनवरी-2020 या यूआई सेंट्रल बैंक से समय-समय पर प्राप्त किसी अन्य दिशानिर्देश में परिभाषित अवधि तक निष्क्रिय रहता है। बैंक अकाउंट्स में उपलब्ध धनराशि को यूआई सेंट्रल बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीबी-यूआई को सौंप देगा।

12.10 लागू कानून, सीबीयूआई आवश्यकताओं और आवश्यक पूर्व सूचना के अधीन, बैंक को यूनिवर्सल अकाउंट्स को बंद करने का अधिकार सुरक्षित है, जहाँ:

12.10.1 ग्राहक यूआई में किसी भी बैंक के पास कोई अन्य सक्रिय करंट या सेविंग्स अकाउंट खोलता है या बनाए रखता है; या

12.10.2 ग्राहक की कुल मासिक आय एईडी 5,000 से अधिक है

13. टेलीग्राफिक ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट और मैनेजर के चेक्स

13.1 ग्राहक समझता है और सहमत है कि भुगतान वाले देश या जारी करने वाले देश में लागू विनियम या अन्य प्रतिबंधों के कारण, या भुगतान करने वाले बैंक द्वारा लगाए गए शुल्क और फीस के कारण, वह डिमांड ड्राफ्ट या मैनेजर के चेक के तहत पूरी राशि प्राप्त करने में असमर्थ हो सकता है।

13.2 बैंक द्वारा पहले जारी किए गए किसी डिमांड ड्राफ्ट या मैनेजर के चेक की खरीद बैंक के पूरा विवेकाधिकार पर होगी और बैंक की उस समय लागू करेंसी की खरीद दर पर की जाएगी।

13.3 विशेष निर्देशों के अभाव में, बैंक सभी ट्रांसफर को लेन-देन की तारीख और समय पर बैंक की उस समय लागू संबंधित करेंसी की खरीद दर के अनुसार अकाउंट्स की करेंसी में परिवर्तित कर सकता है।

13.4 ग्राहक द्वारा अनुसंधित सभी ट्रांसफर भुगतान करने वाला बैंक अपनी नीति के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की स्थानीय करेंसी में परिवर्तित कर सकता है।

13.5 किसी भी प्रतिनिधि या भुगतान करने वाले बैंक के किसी काम या डिफ़ॉल्ट या ट्रांसमिशन में किसी त्रुटि या देरी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक बैंक द्वारा ग्राहक के निर्देशों पर जारी किए गए किसी भी डिमांड ड्राफ्ट या मैनेजर के चेक के संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी नुकसान, क्षति और खर्चों से बैंक को क्षतिपूर्ति देने और उसे किसी भी दावे से सुरक्षित रखने के लिए सहमत है।

13.6 ग्राहक पूरी तरह से अवगत है और टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, पत्र, डाक या इसी तरह के माध्यमों ("निर्देश के माध्यम") के जरिए बैंक को धनराशि ट्रांसफर करने के निर्देश भेजने से जुड़े जोखिमों के लिए सहमत है। ग्राहक सहमत है कि यदि ग्राहक निर्देश के माध्यम का उपयोग करके धनराशि ट्रांसफर का निर्देश देता है, तो बैंक ऐसे निर्देश ("निर्देशों") पर कार्रवाई कर सकता है और यह मान सकता है कि वे वास्तविक और सही हैं। भले ही, निर्देश गलत हों या धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बदले या परिवर्तित किए गए हों, जो ग्राहक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति हो और जिसे निर्देशों की जानकारी ग्राहक की वास्तविक जानकारी के साथ या उसके बिना हो। ग्राहक सहमत है कि वह इन निर्देशों से बाध्य होगा। बैंक के लिए ऐसे निर्देशों की प्रामाणिकता, सटीकता या वास्तविकता की पुष्टि करना या इसके संबंध में पूछताछ करना आवश्यक नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार से निर्देशों पर कार्रवाई करने से इनकार कर सकता है या निर्देशों के सत्यापन की मांग कर सकता है। इसमें, अन्य बातों के साथ, निर्देशों में उल्लिखित अकाउंट्स के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को या ग्राहक द्वारा नामित प्रतिनिधि को पुष्टि के लिए टेलीफोन कॉल के माध्यम से सत्यापन करना शामिल हो सकता है (जिसे "पुष्टिकरण कॉल" कहा जाएगा)। पुष्टिकरण कॉल ग्राहक द्वारा बैंक को अकाउंट्स के संबंध में मौखिक रूप से या अन्यथा उपलब्ध कराए गए किसी नंबर पर की जा सकती है।

13.7 ग्राहक निर्देशों पर बैंक द्वारा कार्रवाई करने, कार्रवाई में देरी करने या कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान, लागत, क्षति, खर्च, दायित्व या कार्यवाही से बैंक को सुरक्षित रखने और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।



13.8 यदि किसी मैनेजर का चेक या डिमांड ड्राफ्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो ग्राहक बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे किसी भी दायित्व से सुरक्षित रखेगा, जो ऐसे नुकसान, चोरी या विनाश के परिणामस्वरूप बैंक को हो सकता है या यदि बैंक अपने पूरे विवेकाधिकार से उसी मूल्य का प्रतिस्थापन चेक या ड्राफ्ट जारी करता है या चेक या ड्राफ्ट की राशि वापस करता है। ग्राहक बैंक द्वारा माँगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सहमत है, जिसमें खोए हुए, चोरी हुए या नष्ट हुए मैनेजर के चेक या डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में पुलिस रिपोर्ट सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, जानकारी शामिल है।

14. हस्ताक्षरकर्ता की मृत्यु

यदि ग्राहक ने अकाउंट्स को संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए ग्राहक के अलावा दो व्यक्तियों को नियुक्त किया है और ऐसे संयुक्त अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या वह अपनी कानूनी क्षमता खो देता है, तो ग्राहक से नए निर्देश प्राप्त किए बिना बैंक द्वारा अकाउंट्स/खातों में कोई भी गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक को एक या अधिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की मृत्यु या कानूनी क्षमता खोने की सूचना बैंक को लिखित रूप में तुरंत और किसी भी स्थिति में मृत्यु या कानूनी क्षमता खोने की तारीख से दस (10) दिनों से अधिक की अवधि के भीतर नहीं देनी होगी। यहाँ दी गई कोई भी बात ग्राहक को अकाउंट्स का संचालन करने से नहीं रोकेगी।

15. निर्देशों को वापस लेना

किसी भी करेंसी की खरीद या बिक्री या धनराशि के भुगतान या ट्रांसफर के लिए ग्राहक द्वारा एक बार दिए गए लिखित निर्देशों को सिर्फ ग्राहक द्वारा बैंक की सहमति से ही वापस लिया, संशोधित या रद्द किया जा सकता है।

16. बैंक के दायित्व

ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत है कि प्रतिबंधों और करेंसी के परिवर्तनीय या हस्तांतरणीय होने, अनिवार्य ट्रांसफर, युद्ध या गृहयुद्ध या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य समान कारण की वजह से धनराशि उपलब्ध न होने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक सहमत है कि ऐसी परिस्थितियों में बैंक का कोई अन्य कार्यालय, शाखा, मुख्य कार्यालय, सहायक कंपनी या सहयोगी ग्राहक के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। यदि ग्राहक की ओर से या ग्राहक को भुगतान करने के लिए बैंक पर कोई दायित्व उत्पन्न होता है, तो ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत है कि ऐसी राशि सिर्फ अकाउंट्स/खातों में जमा और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूई को देय राशि तक ही सीमित होगी।

17. स्थायी निर्देश

17.1 यदि ग्राहक के अकाउंट्स में पर्याप्त क्लियर फंड उपलब्ध हैं, तो बैंक ग्राहक के किसी भी स्थायी निर्देश पर कार्रवाई करेगा।

17.2 यदि लगातार दो (2) अवसरों पर संबंधित अकाउंट्स में स्थायी निर्देश पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त क्लियर फंड उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक ग्राहक को बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसे स्थायी निर्देश को रद्द कर सकता है।

17.3 बैंक अपने विवेकाधिकार से चेकों या ग्राहक के अकाउंट्स से निकाली जाने वाली अन्य भुगतानों की तुलना में स्थायी निर्देशों के भुगतान की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित कर सकता है।

17.4 जहाँ ग्राहक के अकाउंट्स में ऐसे भुगतान के लिए पर्याप्त क्लियर फंड उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बैंक अपने विवेकाधिकार से स्थायी निर्देश के अनुसार भुगतान कर सकता है। किसी भी कमी की राशि ओवरड्राफ्ट मानी जाएगी। ग्राहक ऐसे ओवरड्राफ्ट की राशि और स्थायी निर्देश के अनुसार किए गए भुगतान के परिणामस्वरूप ओवरड्राफ्ट पर लागू किसी भी ब्याज और शुल्क की पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

17.5 बैंक किसी भी देरी, ट्रांज़िट में नुकसान, ट्रांसमिशन की त्रुटि या बैंक अथवा बैंक के प्रतिनिधि की किसी अन्य त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17.6 ग्राहक बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी स्थायी निर्देश पर कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले सभी नुकसान, क्षति और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देने और उसे किसी भी दावे से सुरक्षित रखने के लिए सहमत है।

17.7 ग्राहक बैंक को पर्याप्त पूर्व लिखित सूचना देकर किसी भी स्थायी निर्देश में संशोधन या उसे रद्द कर सकता है। स्थायी निर्देश का रद्दीकरण या उसमें संशोधन केवल उन भुगतानों के संबंध में प्रभावी होगा, जो बैंक द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह (15) दिनों से अधिक समय बाद किए जाने हैं।

18. जानकारी का प्रकटीकरण

ग्राहक सहमत है कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी क्षेत्राधिकार में सरकारी प्राधिकरणों को, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, अकाउंट्स में किए गए सभी लेन-देन का विवरण प्रकट कर सकता है। ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण या उसकी सटीकता के संबंध में बैंक पर कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं होगी। बैंक ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में ग्राहक को सूचित करने या उसकी सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं होगा।

19. अतिरिक्त अकाउंट्स खोलना

बैंक समय-समय पर ग्राहक के नाम पर किसी भी करेंसी में अतिरिक्त अकाउंट/अकाउंट्स खोल सकता है, यदि बैंक अपने वित्तीय और अन्य हितों की रक्षा के लिए परिचालन संबंधी कारणों से कुछ लेन-देन को अन्य लेन-देन से नियंत्रित, मॉनिटर और अलग करने और/या पृथक रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और लाभदायक समझता है। ऐसे अकाउंट्स खोले जाने पर वे इन नियम और शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे और ग्राहक एतद्वारा बैंक को ऐसे अकाउंट्स खोलने और बनाए रखने के लिए अधिकृत करता है, जब तक कि बैंक ग्राहक द्वारा अतिरिक्त अकाउंट खोलने के फॉर्म को पूरा करना उचित समझे। ग्राहक एतद्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि ऐसे सभी अकाउंट्स उसी के हैं और ऐसे खातों में किए गए सभी लेन-देन के लिए वह अकेले जिम्मेदार होगा।

20. गलत लेन-देन

बैंक को यह अधिकार सुरक्षित है और ग्राहक एतद्वारा बैंक को ग्राहक के अकाउंट्स से उन सभी धनराशियों को डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम की त्रुटि, तकनीकी त्रुटि या खराबी, मानवीय त्रुटि, क्लियरिंग सिस्टम की त्रुटि या किसी अन्य कारण से ग्राहक के अकाउंट्स में गलत तरीके से क्रेडिट की गई हों, और इसके संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दायित्व और/या दावा नहीं होगा।

21. डाक भेजना / डाक रोककर रखना

21.1 ग्राहक समझता है कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बैंक अकाउंट्स से संबंधित सभी पत्राचार ग्राहक द्वारा बैंक को बताए गए पते पर डाक द्वारा भेजा है।

21.2 यदि ग्राहक डाक रोककर रखने की सेवा का अनुरोध करता है, तो बैंक ग्राहक को संबोधित सभी डाक, जिसमें पत्राचार, सूचनाएँ और अकाउंट विवरण शामिल हैं, को रोककर रखने के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन ऐसा करना बैंक के लिए अनिवार्य नहीं होगा। डाक को ग्राहक द्वारा अनुरोधित संबंधित शाखा परिसर में तब तक सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक ग्राहक या ग्राहक का अधिकृत प्रतिनिधि उसे प्राप्त नहीं कर लेता। यदि रोक की गई डाक तीन (3) महीने से अधिक समय तक प्राप्त नहीं की जाती है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार पर ऐसी डाक को ग्राहक द्वारा दिए गए पते पर भेज सकता है। यदि ग्राहक द्वारा कोई अग्रेषण पता उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बैंक को चार (4) महीने तक अप्राप्त पड़ी सभी डाक को नष्ट करने का अधिकार होगा। ग्राहक किसी भी समय बैंक को लिखित सूचना देकर या बैंक की फोन बैकिंग सेवा का उपयोग करके और बैंक को वह पता बताकर, जिस पर ग्राहक की डाक भेजी जानी है, डाक रोककर रखने के इस मैडेट को समाप्त कर सकता है। ग्राहक सहमत है कि:

21.2.1 डाक रोककर रखने के इस मैडेट के बावजूद, बैंक अपने विवेकाधिकार में आवश्यक समझे जाने पर ऐसी डाक ग्राहक को भेज सकता है;

21.2.2 बैंक किसी भी डाक के संबंध में अपने विवेकाधिकार में उचित समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है;

21.2.3 सभी डाक को संबंधित शाखा में सुरक्षित रखने के लिए पहुँचाए जाते ही ग्राहक द्वारा प्राप्त माना जाएगा;

21.2.4 बैंक द्वारा जारी किए गए सभी अकाउंट्स के विवरण सही माने जाएंगे, यदि ग्राहक विवरण में बताई गई अवधि या इन नियम और शर्तों में निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को किसी भी त्रुटि की सूचना नहीं देता है;

21.2.5 डाक रोककर रखने के इस मैडेट के परिणामस्वरूप ग्राहक को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए, या इस मैडेट के संबंध में बैंक द्वारा की गई किसी कार्रवाई या कार्रवाई में देरी या किसी चूक के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा; और

21.2.6 बैंक ग्राहक को तीस (30) दिन पहले लिखित सूचना देकर इस सेवा को समाप्त कर सकता है।

22. करंट अकाउंट

पात्रता

यूई में लागू कानूनों और विनियमों तथा बैंक के पूरे विवेकाधिकार के अधीन, ग्राहक केवल तभी करंट अकाउंट खोलने के लिए योग्य होगा, जब ग्राहक यूई में निवासी हो (जैसे कि यूई सेंट्रल बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया गया है) और उसके पास पूरी कानूनी क्षमता हो।

22.1 चेक-बुक जारी करना

22.1.1 ग्राहक को अकाउंट संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए चेक-बुक जारी करना बैंक के पूरे विवेकाधिकार पर होगा। ऐसी चेक-बुक सिर्फ यूई में रहने वाले ग्राहकों को जारी की जा सकती है। जो ग्राहक यूई के गैर-निवासी हैं या

बाद में गैर-निवासी बन जाते हैं, वे करंट अकाउंट बनाए रखने के लिए योग्य नहीं होंगे। ग्राहक बैंक से चेक-बुक जारी करने का अनुरोध कर सकता है, बशर्ते कि ग्राहक ऐसी चेक-बुक जारी करने से संबंधित सभी लागतों का भुगतान करे। बैंक द्वारा जारी की गई चेक-बुक ग्राहक को नियमित डाक और/या कूरियर के माध्यम से भेजी जा सकती है या ग्राहक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उस शाखा से प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है जहाँ अकाउंट रखा गया है। यदि ग्राहक चेक-बुक अपने पास डिलीवर करवाने का विकल्प चुनता है, तो चेक-बुक की डिलीवरी में किसी विफलता या देरी के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए वह जिम्मेदार होगा। यूनिवर्सल अकाउंट्स रखने वाले ग्राहक चेक-बुक के लिए योग्य नहीं हैं।

22.1.2 ग्राहक बैंक की पूर्व सहमति के बिना किसी अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट करने का हकदार नहीं है। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज (360 दिनों के वर्ष के आधार पर दैनिक रूप से गणना किया गया) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लगाया जाएगा। ओवरड्राफ्ट के तहत मूलधन और ब्याज ग्राहक द्वारा माँग किए जाने पर चुकाया जाएगा।

22.1.3 ग्राहक द्वारा निकासी चेक के बदले नकद में की जा सकती है। किसी अन्य माध्यम से निकासी की अनुमति बैंक के पूरे विवेकाधिकार पर दी जा सकती है।

22.1.4 बैंक बिना किसी पूछताछ के किसी भी चेक, विनियम-पत्र, प्रॉमिसरी नोट या धनराशि के भुगतान के लिए दिए गए अन्य आदेश का भुगतान कर सकता है और भुगतान की गई राशि को अकाउंट्स में डेबिट कर सकता है, चाहे अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट। यदि अकाउंट्स में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है और ग्राहक ने बैंक के साथ पहले से कोई व्यवस्था नहीं की है, तो बैंक को ऐसे दस्तावेजों का भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार है। यदि बैंक ऐसे दस्तावेजों का भुगतान करने से इनकार करता है या ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार करता है, तो बैंक की ग्राहक के प्रति कोई जिम्मेदारी या देयता नहीं होगी।

22.1.5 जब तक लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो, ग्राहक बिना बैंक से किसी सूचना की आवश्यकता के तुरंत ग्राहक के अकाउंट्स में ऐसी धनराशि जमा करेगा, जो ओवरड्राफ्ट की राशि से कम न हो। जब तक लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो, ग्राहक समझता है कि बैंक ग्राहक के अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट की अनुमति देने या पहले ऐसा करने के बाद ओवरड्राफ्ट की अनुमति जारी रखने के लिए बाध्य नहीं है।

22.1.6 बैंक पोस्ट-डेडेट चेक का देय तारीख से पहले अनजाने में या अन्यथा भुगतान किए जाने की स्थिति में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।



22.2 अकाउंट्स को बंद करना और चेक वापस करना

22.2.1 यदि ग्राहक के अकाउंट्स पर जारी किए गए चार (4) चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बिना भुगतान के वापस कर दिए जाते हैं, तो बैंक यूई के कानून के अनुसार ग्राहक का अकाउंट बंद कर सकता है। अकाउंट बंद होने पर, ग्राहक अपने अकाउंट्स से संबंधित सभी चेक-बुक बैंक को वापस करेगा। ग्राहक समझता है कि बैंक ऐसे अकाउंट्स और उससे संबंधित विवरण यूई सेंट्रल बैंक तथा किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

22.2.2 जब तक ग्राहक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त नहीं करता, अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट उत्पन्न करने वाले चेकों का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ग्राहक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करता है, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा से अधिक अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट उत्पन्न करने वाले चेकों का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा चेक बैंक द्वारा अनजाने में भुगतान कर दिया जाता है, तो ग्राहक बैंक की ओवरड्राफ्ट दर पर ब्याज और बैंक के शुल्क के साथ ओवरड्राफ्ट की गई राशि का पुनर्भुगतान करेगा।

22.2.3 बैंक जारी किए जाने की तारीख से छह (6) महीने से अधिक समय बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए किसी भी चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है।

22.3 ब्याज

22.3.1 किसी भी न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता के अधीन, उच्च ब्याज सेविंग्स या डिपॉजिट अकाउंट में जमा नकद शेषराशि पर ब्याज दर पूर्व व्यवस्था या समझौते के आधार पर दैनिक आधार पर निर्धारित की जाएगी। अधिक शेषराशि के लिए अधिक ब्याज दर, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों के अनुसार लागू होगी। ब्याज दैनिक रूप से अर्जित होगा और मासिक रूप से अकाउंट्स में जमा किया जाएगा।

22.3.2 करंट अकाउंट में रखी गई शेषराशि, जिसमें यूनिवर्सल अकाउंट्स भी शामिल हैं, पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

22.3.3 सभी शुल्क बैंक की शुल्क अनुसूची के अनुसार लागू होंगे।

22.4 चेक का उपयोग

22.4.1 चेक के उपयोग पर बैंक की शुल्क अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा, जिसमें समय-समय पर बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधन किया जा सकता है।

22.4.2 ग्राहक एतद्वारा चेक-बुक को सुरक्षित रखने और तीसरे पक्ष द्वारा चेक-बुक का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाई करने से बचने के लिए सहमत है। यूई का गैर-निवासी बनने पर, ग्राहक एतद्वारा बैंक को अप्रयुक्त चेक-बुक के सभी बचे हुए चेक तुरंत वापस करने के लिए सहमत है। चेक-बुक या किसी व्यक्तिगत चेक के खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, ग्राहक सहमत है कि वह सक्षम प्राधिकरणों को तुरंत सूचित करेगा, ताकि खोए हुए या चोरी हुए चेक को भुगतान से रोकने का आदेश प्राप्त किया जा सके। ग्राहक स्वीकार करता है कि ऐसे चेकों पर बैंक द्वारा किए गए किसी भी भुगतान से होने वाले किसी भी नुकसान और/या क्षति का वह वहन करेगा, यदि ऐसे चेक प्रथम दृष्टया लागू कानूनी और/या प्रचलित बैंकिंग आवश्यकताओं और विनियमों के अनुरूप हों।

22.5 भुगतान रोकना

ग्राहक स्वीकार करता है और सहमत है कि किसी भी चेक का भुगतान रोकने के निर्देश तभी स्वीकार किए जाएंगे, जब वे यूई के कानून के अनुसार जारी किए गए हों। ग्राहक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में किसी भी विफलता के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता और ऐसे निर्देशों के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी लागत, जिसमें कानूनी शुल्क और/या जुर्माना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, नुकसान, क्षति और/या अन्य परिणामों के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

22.6 निरक्षर ग्राहक के अकाउंट्स

22.6.1 किसी निरक्षर ग्राहक को पहचान की सुविधा के लिए मैडेन नमूना हस्ताक्षर यूबीएल डेबिट कार्ड के साथ संलग्न करने हेतु हाल ही की तस्वीर की प्रतियाँ उपलब्ध करानी होंगी।

22.6.2 किसी निरक्षर ग्राहक को चेक-लीफ या यूबीएल डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

22.6.3 किसी सिर्फ ग्राहक की व्यक्तिगत उपस्थिति और पहचान के आधार पर उस बैंक शाखा में की जा सकेगी, जहाँ ग्राहक का अकाउंट रखा गया है। तीसरे पक्ष द्वारा की गई निकासी स्वीकार नहीं की जाएगी। भले ही, ग्राहक के अकाउंट्स में उपलब्ध शेषराशि निकासी की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

23. सेविंग्स, कॉल और टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स

23.1 सेविंग्स अकाउंट

23.1.1 बैंक की शाखाओं में उपलब्ध नकद निकासी स्लिप या बैंक द्वारा स्वीकार्य निर्देश के अन्य माध्यमों का उपयोग सेविंग्स अकाउंट से निकासी करने के लिए किया जाएगा।

23.1.2 किसी भी न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता के अधीन, सेविंग्स अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज की गणना ग्राहक के अकाउंट्स में जमा की जाने वाली न्यूनतम मासिक शेषराशि के आधार पर मासिक रूप से की जाएगी। ब्याज दर सेविंग्स अकाउंट के लिए बैंक की उस समय लागू दर होगी। ऐसी ब्याज दर बैंक की शाखाओं और वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध होगी और बिना किसी सूचना के इसमें बदलाव किया जा सकता है। सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें, स्तर, क्रेडिट चक्र और अन्य सभी विशेषताएँ बदलाव के अधीन होंगी।

23.1.3 सेविंग्स अकाउंट के संबंध में ग्राहक को कोई चेक-बुक जारी नहीं की जाएगी।

23.2 कॉल अकाउंट

23.2.1 बैंक के पूरे विवेकाधिकार और न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकताओं के अधीन, बैंक ग्राहक के लिए कॉल अकाउंट खोल सकता है।

23.2.2 कॉल अकाउंट पर लागू ब्याज दर की जानकारी बैंक की शाखाओं और वेबसाइट पर दी जाएगी। ग्राहक के कॉल अकाउंट में दैनिक शेषराशि पर ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना मासिक रूप से की जाएगी और अर्ध-वार्षिक रूप से अकाउंट्स में जमा किया जाएगा, या उससे पहले, यदि कॉल डिपॉजिट की निकासी की जाती है। कॉल अकाउंट्स की ब्याज दरें, स्तर, क्रेडिट चक्र और अन्य विशेषताएँ बदलाव के अधीन होंगी।

23.2.3 सभी कॉल अकाउंट्स बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम शेषराशि की सीमाओं के अधीन होंगे। यदि

किसी महीने के दौरान किसी भी समय शेषराशि न्यूनतम शेषराशि से कम हो जाती है, तो बैंक को कॉल अकाउंट बंद करने और/या बैंक का उस समय लागू सेवा शुल्क लगाने का अधिकार होगा।

23.2.4 ग्राहक कॉल अकाउंट्स पर चेक जारी नहीं करेगा।

23.2.5 ग्राहक के कॉल अकाउंट्स से धनराशि निकालने के लिए ग्राहक को बैंक को पहले से लिखित सूचना देनी होगी या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक को सूचित करना होगा। इसमें दिनों की वह संख्या भी शामिल है, जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है और जो बैंक के पूरे विवेकाधिकार के अधीन होगी।

23.2.6 यदि ग्राहक ऊपर दी गई धारा 23.2.5 के अनुसार पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बिना अपने कॉल अकाउंट्स से धनराशि निकालता है, तो ग्राहक स्वीकार करता है कि बैंक उस धनराशि पर निर्धारित अवधि के लिए ब्याज रोक लेगा।

23.3 सावधि जमा अकाउंट

23.3.1 बैंक के पूरे विवेकाधिकार और समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकताओं के अधीन, ग्राहक सावधि जमा अकाउंट खोल सकता है।

23.3.2 सावधि जमा अकाउंट खोलने पर, बैंक एक पुष्टि सूचना जारी करेगा, जिसमें जमा की मूल राशि, अवधि और उस पर देय ब्याज दर बताई जाएगी।

23.3.3 सावधि जमा अकाउंट बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम शेषराशि की सीमा के अधीन होगा।

23.3.4 जब तक ग्राहक मैच्योरिटी की तारीख को या उससे पहले अन्त्यथा निर्देश नहीं देता, बैंक अपने विवेकाधिकार पर सावधि जमा को समान अवधि के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत कर सकता है। ऐसी अवधि के लिए ब्याज दर बैंक द्वारा ऐसी जमा राशि के संबंध में समय-समय पर निर्धारित प्रचलित बाजार दर के अनुसार होगी।

23.3.5 यदि ग्राहक सावधि जमा की मैच्योरिटी से पहले धनराशि निकालता है, तो ऐसी निकासी पर बैंक द्वारा परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाने वाले शुल्क, दंड और/या चार्ज का भुगतान करना होगा, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

23.3.5.1 यदि ग्राहक द्वारा ऐसी सावधि जमा को जमा किए जाने की तारीख से सात (7) दिनों के अंदर वापस निकाल लिया जाता है (जिसे "पहले सात दिन") कहा गया है, तो ग्राहक ऐसी सावधि जमा पर कोई ब्याज अर्जित करने का हकदार नहीं होगा।

23.3.5.2 यदि ग्राहक पहले सात दिनों के बाद, लेकिन उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय सावधि जमा निकालता है, जिसके लिए सावधि जमा मूल रूप से की गई थी ("मूल अवधि"), तो ग्राहक सिर्फ उस अवधि के लिए ब्याज अर्जित करेगा, जिसके दौरान सावधि जमा वास्तव में रखी गई थी ("कम अवधि")। भले ही, ऐसी जल्दी निकासी ग्राहक द्वारा अन्य बैंक उत्पादों/सेवाओं में निवेश करने के उद्देश्य से की गई हो। सावधि जमा की समय से पहले निकासी पर ब्याज दर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(1) जहाँ बैंक कम अवधि के बराबर अवधि के लिए ब्याज दर प्रदान करता है ("समतुल्य दर"), वहाँ ब्याज दर समतुल्य दर से एक प्रतिशत (1%) कम होगी;

(2) जहाँ बैंक कम अवधि के बराबर अवधि के लिए ब्याज दर प्रदान नहीं करता है, वहाँ ब्याज दर उस कम अवधि से छोटी अवधि के लिए लागू ब्याज दर होगी, जिसके लिए बैंक ब्याज दर प्रदान करता है ("पूर्ववर्ती अवधि की दर"), जिसमें एक प्रतिशत (1%) की कमी की जाएगी; या

(3) जहाँ समतुल्य दर या पूर्ववर्ती अवधि की दर एक प्रतिशत (1%) से कम है, वहाँ लागू स्थिति के अनुसार ब्याज दर समतुल्य दर या पूर्ववर्ती अवधि की दर की आधी होगी।

23.3.5.3 सावधि जमा की समय से पहले निकासी होने पर बैंक अर्जित ब्याज की राशि में से वर्तमान शुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क काटेगा।

23.3.5.4 ग्राहक स्वीकार करता है कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर सावधि जमा की समय से पहले निकासी पर लागू प्रावधानों में समय-समय पर बदलाव कर सकता है, जिसमें ब्याज दर और ब्याज की गणना के आधार में बदलाव शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

23.3.6 सावधि जमा पर ब्याज मैच्योरिटी के समय भुगतान किया जाएगा।

23.4 मुकम्मल अकाउंट्स

23.4.1 बैंक के पूरे विवेकाधिकार और समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकताओं के अधीन, ग्राहक एक मुकम्मल अकाउंट खोल सकता है। मुकम्मल अकाउंट मुकम्मल बेसिक अकाउंट, मुकम्मल पर्सनल अकाउंट या मुकम्मल प्लस अकाउंट हो सकता है। सभी मुकम्मल खातों पर निम्नलिखित लागू होंगे:

23.4.1.1 मुकम्मल अकाउंट सिर्फ यूई के ऐसे निवासी द्वारा खोला जा सकता है, जिसके पास वैध रेजिडेंस वीज़ा, एमिग्रेट्स आईडी और बैंक द्वारा उचित रूप से माँगे जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज़ हों।

23.4.1.2 मुकम्मल अकाउंट किसी नाबालिग के नाम पर नहीं खोला जाएगा।

23.4.1.3 अतिरिक्त लाभ के रूप में, मुकम्मल अकाउंट्स के धारक को आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा कवर ग्राहक बीमा सूचना में दिए गए नियम और शर्तों के अनुसार उपलब्ध होगा।

23.4.1.4 बैंक के पास यह तय करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा कि मुकम्मल अकाउंट्स के धारक को अकाउंट्स पर जारी किए गए चेकों के लिए चेक-बुक भी जारी की जाए या नहीं।

23.4.2 मुकम्मल खातों के विशिष्ट प्रकारों पर निम्नलिखित लागू होंगे:

23.4.2.1 मुकम्मल बेसिक अकाउंट किसी प्रारंभिक जमा या न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता के अधीन नहीं होगा।

23.4.2.2 मुकम्मल पर्सनल अकाउंट किसी प्रारंभिक जमा या न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता के अधीन नहीं होगा।

23.4.2.3 मुकम्मल प्लस अकाउंट किसी प्रारंभिक जमा या न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता के अधीन नहीं होगा।

23.4.2.4 इसके अलावा, ग्राहक मुकम्मल प्लस अकाउंट्स में जमा राशि पर बैंक द्वारा पुष्टि की जाने वाली दर के अनुसार ब्याज अर्जित करेगा, बशर्ते कि मुकम्मल प्लस अकाउंट्स में औसत मासिक शेषराशि, बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार, एईडी 50,000 के बराबर या उससे अधिक हो। ब्याज का भुगतान मुकम्मल प्लस अकाउंट्स के धारक को अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।



23.4.2.5 ग्राहक स्वीकार करता है कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर मुकम्मल प्लस अकाउंट्स पर लागू प्रावधानों में बदलाव कर सकता है, जिसमें समय-समय पर लागू ब्याज दर और ब्याज दर की गणना के आधार में बदलाव शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

24. विदेशी करेंसी / ऑफ-शोर जमा

24.1 गैर-यूआई दिरहम (एईडी) में नामित खातों में शेषराशि बैंक के नाम पर कॉर्रेस्पॉण्डेंट बैंकों के पास रखी जाएगी, जो उस मूल क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं भी हो सकते हैं, जहाँ से लेन-देन शुरू हुआ था या जहाँ ग्राहक का निवास है। गैर-यूआई दिरहम (एईडी) खातों को बनाए रखना ग्राहक के अपने जोखिम पर होगा, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित जोखिम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

24.1.1 किसी भी सरकारी या नियामकीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए कोई प्रतिबंध; या

24.1.2 संबंधित शेषराशि पर लागू कोई भी कर, शुल्क या लेवी (जिसमें बिना किसी सीमा के, विदेशी करेंसी नियंत्रण या करेंसी संबंधी प्रतिबंध शामिल हैं)।

24.2 ऐसी करेंसी में प्राप्त धनराशि, जिसके लिए कोई संबंधित अकाउंट उपलब्ध नहीं है, बैंक के विवेकाधिकार पर यूआई दिरहम में (लेन-देन के समय बैंक की लागू विनियम दर पर) परिवर्तित की जाएगी या अकाउंट्स की करेंसी में रखी जाएगी।

24.3 ग्राहक के विदेशी करेंसी अकाउंट्स से निकासी केवल बैंक ड्राफ्ट या टेलीग्राफिक ट्रांसफर के माध्यम से की जा सकती है।

24.4 ऑफ-शोर जमा ग्राहक के अपने जोखिम पर किए जाएंगे और ग्राहक ऑफ-शोर जमा से संबंधित सभी विनियम, ट्रांसफर, क्रेडिट और अन्य जोखिमों को वहन करेगा। ऑफ-शोर जमा के संबंध में बैंक का एकमात्र दायित्व ग्राहक से निर्देश प्राप्त होने पर अकाउंट्स से राशि को निर्दिष्ट अकाउंट्स में ट्रांसफर करना और ऑफ-शोर जमा की परिपक्वता पर बैंक द्वारा प्राप्त मूलधन और ब्याज की राशि को अकाउंट्स में जमा करना होगा। ग्राहक समझता है और सहमत है कि ग्राहक के ऑफ-शोर जमा पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में, ग्राहक के पास बैंक या बैंक की किसी अन्य शाखा या बैंक से संबद्ध किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध कोई अधिकार या उपाय नहीं होगा।

25. डेबिट कार्ड

बैंक द्वारा यूबीएल डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ग्राहक एतद्वारा निम्नलिखित को स्वीकार करता है, समझता है और सहमत है:

25.1 यूबीएल डेबिट कार्ड जारी किया गया है या ग्राहक के अनुरोध पर बैंक द्वारा ग्राहक के करंट या सेविंग्स अकाउंट या बैंक के विवेकाधिकार पर समय-समय पर खोले और बनाए गए या उपलब्ध कराए गए किसी अन्य अकाउंट्स या बैंकिंग सुविधा के लिए जारी किया जा सकता है। बैंक को यूबीएल डेबिट कार्ड के लिए किसी आवेदन को अस्वीकार करने और यूबीएल डेबिट कार्ड जारी करने से संबंधित न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। ग्राहक द्वारा यूबीएल डेबिट कार्ड का उपयोग इन नियम और शर्तों की ग्राहक द्वारा स्वीकृत माना जाएगा।

25.2 यूबीएल डेबिट कार्ड ऐसे स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) से नकद निकासी के लिए जारी किया जाता है, जिन पर यूबीएल, एनस्विच और जीसीसीनेट के प्रतीक प्रदर्शित होते हैं। यूबीएल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है और इसका उपयोग किसी भी प्रकार का क्रेडिट प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। यूबीएल डेबिट कार्ड यूआई के बाहर कुछ एटीएम पर उपयोग करने योग्य नहीं हो सकता है।

25.3 यूबीएल डेबिट कार्ड हर समय बैंक की संपत्ति रहेगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर यूबीएल डेबिट कार्ड की वैधता रद्द कर सकता है और किसी भी समय उसे वापस करने का अनुरोध कर सकता है, ऐसी स्थिति में ग्राहक को तुरंत उस अनुरोध का पालन करना होगा। यदि किसी भी कारण से अकाउंट बंद हो जाता है, तो यूबीएल डेबिट कार्ड भी उसी समय रद्द कर दिया जाएगा और ग्राहक द्वारा तुरंत बैंक को वापस कर दिया जाएगा।

25.4 यूबीएल डेबिट कार्ड इस आधार पर जारी किया जाता है कि ग्राहक द्वारा शुरू किए गए सभी लेन-देन (यूबीएल डेबिट कार्ड के किसी अतिरिक्त धारक द्वारा यूबीएल डेबिट कार्ड का उपयोग करके किए गए किसी भी लेन-देन सहित) बैंक के शुल्कों के अनुसार डेबिट किए जाएंगे।

25.5 ग्राहक बैंक से यूबीएल डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकता है या, ग्राहक के अपने जोखिम पर, यूबीएल डेबिट कार्ड को ग्राहक द्वारा बैंक को बताया गए पते पर डाक या कूरियर के माध्यम से भेजने का अनुरोध कर सकता है। बैंक अपने विवेकाधिकार पर ग्राहक को यूबीएल डेबिट कार्ड सक्रिय करने के लिए अनिवार्य प्रक्रियाएँ पूरी करने के लिए कह सकता है। जब तक ऐसी प्रक्रियाएँ (यदि कोई हों) पूरी नहीं हो जाती, तब तक यूबीएल डेबिट कार्ड से कोई लेन-देन नहीं किया जा सकता। यूबीएल डेबिट कार्ड प्राप्त होने पर, ग्राहक या अधिकृत उपयोगकर्ता यूबीएल डेबिट कार्ड पर हस्ताक्षर करेगा। यदि ग्राहक यूबीएल डेबिट कार्ड नहीं रखना चाहता है, तो वह तुरंत बैंक को सूचित करेगा और यूबीएल डेबिट कार्ड का उपयोग बंद कर देगा तथा यूबीएल डेबिट कार्ड को आधा काटकर बैंक को वापस कर देगा।

25.6 ग्राहक यूबीएल डेबिट कार्ड के उपयोग से किए गए सभी लेन-देन के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे (1) लेन-देन ग्राहक की जानकारी या स्पष्ट या निहित अनुमति से किए गए हों या (2) लेन-देन किसी धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य का परिणाम हों। ग्राहक एतद्वारा बैंक को बैंक के लेन-देन रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी निकासी, ट्रांसफर या लेन-देन के लिए ग्राहक के अकाउंट्स से राशि डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है। ग्राहक यूबीएल डेबिट कार्ड के उपयोग से अकाउंट्स में किए गए सभी डेबिट को स्वीकार करता है, बिना किसी सीमा के, सिवाय इसके कि नुकसान की लिखित सूचना बैंक को प्राप्त हो चुकी हो और बैंक ने उसकी पुष्टि कर दी हो। बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा तैयार किए गए रिकॉर्ड, ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किसी डेबिट वाउचर या प्राधिकरण के अभाव के बावजूद, यूबीएल डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेन-देन की शुद्धता के निर्णायक प्रमाण होंगे।

25.7 ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी निकासी करने से पहले अकाउंट्स में उस निकासी के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो, जो यूबीएल डेबिट कार्ड से संबंधित है। यदि किसी भी कारण से यूबीएल डेबिट कार्ड के उपयोग के कारण अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो ग्राहक उस कमी को तुरंत पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। कमी को पूरा करने में विफल रहने पर बैंक को यूबीएल डेबिट कार्ड रद्द करने और/या ग्राहक की ओर से ग्राहक के किसी अन्य अकाउंट्स से राशि ट्रांसफर करने का अधिकार होगा। ग्राहक बैंक को यूबीएल डेबिट कार्ड के उपयोग से की गई किसी भी निकासी या अन्य लेन-देन की राशि

ग्राहक के किसी भी अकाउंट्स से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है।

25.8 बैंक को किसी भी समय एटीएम और/या बिक्री केंद्रों पर ग्राहक द्वारा की जाने वाली कुल नकद निकासी और भुगतानों की सीमा निर्धारित करने और ग्राहक को ऐसी सीमाओं के बारे में समय-समय पर सूचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

25.9 ग्राहक समझता है कि सभी निकासी, चाहे एईडी में हों या किसी विदेशी करेंसी में, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अधीन होंगी। यूबीएल डेबिट कार्ड के माध्यम से यूआई दिरहम (एईडी) के अलावा किसी अन्य करेंसी में किए गए किसी भी लेन-देन की राशि को लेन-देन की तारीख पर लागू बैंक की विनियम दर के अनुसार यूआई दिरहम में बदलाव किया जाएगा।

25.10 यूबीएल डेबिट कार्ड पूरी तरह ग्राहक के जोखिम पर जारी किया जाता है। यह हस्तांतरणीय नहीं है। ग्राहक यूबीएल डेबिट कार्ड के उपयोग से किए गए किसी भी लेन-देन के लिए हर समय जिम्मेदार रहेगा और किसी भी कारण से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।

25.11 बैंक प्रत्येक कार्डधारक को एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (पीआईएन) देगा। ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को पीआईएन बताने से बचेगा। यदि पीआईएन किसी तीसरे पक्ष को पता चल जाता है, तो बैंक उस व्यक्ति को ग्राहक का एजेंट मान सकता है और ग्राहक पीआईएन के किसी तीसरे पक्ष को पता चलने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।

25.12 ग्राहक यूबीएल डेबिट कार्ड को खोने, गुम होने या चोरी होने से बचाने के लिए हर संभव सावधानी बरतेगा। ग्राहक यूबीएल डेबिट कार्ड के खो जाने, गुम हो जाने या चोरी हो जाने, किसी तीसरे पक्ष के हाथ लग जाने या पीआईएन के अनजाने में या अन्यथा किसी तीसरे पक्ष को पता चल जाने की स्थिति में बैंक को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा। ग्राहक यूबीएल डेबिट कार्ड के खोने, चोरी होने आदि की सूचना देने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित और सूचित की गई किसी भी अन्य प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी सहमत है। ग्राहक खोए हुए, गुम हुए या चोरी हुए कार्ड से किए गए सभी लेन-देन के लिए जिम्मेदार होगा, सिवाय उन सभी लेन-देन के जो बैंक द्वारा ग्राहक को यह पुष्टि देने के बाद किए गए हों कि कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है, या पीआईएन के अनधिकृत उपयोग के बाद किए गए हों।

25.13 बैंक की शुल्क अनुसूची में निर्धारित शुल्क यूबीएल, यूआई द्वारा संचालित नहीं किए जाने वाले एटीएम से की गई सभी नकद निकासी पर लगाया जाएगा।

25.14 यूबीएल डेबिट कार्ड या एटीएम की किसी खराबी या विफलता, एटीएम पर धनराशि की अस्थायी अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से कार्ड के अस्वीकार किए जाने से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यूबीएल डेबिट कार्ड से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में, बैंक ऐसी वस्तुओं या सेवाओं में (1) किसी भी दोष या कमी के लिए ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष के प्रति जिम्मेदार या किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, (2) ऐसे सामान या सेवाओं के संबंध में किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी उल्लंघन या प्रदर्शन न किए जाने के लिए, या (3) ऐसी किसी वस्तु की किसी यांत्रिक या अन्य खराबी के कारण होने वाली किसी भी हानि या चोट सहित किसी भी नुकसान या चोट के लिए। इसके अलावा, यदि यूबीएल डेबिट कार्ड का भुगतान या स्वीकार नहीं किया जाता है या ग्राहक (या कोई तीसरा पक्ष) यूबीएल डेबिट कार्ड की किसी यांत्रिक या अन्य खराबी के कारण होने वाली किसी भी हानि या चोट सहित किसी भी नुकसान या चोट का सामना करता है, तो बैंक ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

25.15 एटीएम के माध्यम से नकद और चेक जमा सिर्फ बैंक द्वारा संचालित एटीएम में ही किए जा सकते हैं। ऐसे एटीएम के माध्यम से किए गए चेक जमा संग्रह के लिए स्वीकार किए जाएंगे और राशि प्राप्त होने पर अकाउंट्स में क्रेडिट की जाएगी।

25.16 ग्राहक एतद्वारा स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि एटीएम स्क्रीन पर या प्रिंटड पृष्ठताछ स्लिप या रसीद पर दर्शाई गई अकाउंट्स की शेषराशि को किसी भी उद्देश्य के लिए अकाउंट्स में उपलब्ध धनराशि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाएगा।

25.17 यदि ग्राहक यूबीएल डेबिट कार्ड खो देता है और/या पीआईएन भूल जाता है, तो प्रतिस्थापन कार्ड जारी करने पर बैंक द्वारा सूचित शुल्क लगाया जाएगा।

25.18 बैंक सिर्फ संयुक्त अकाउंट धारकों को अतिरिक्त कार्ड जारी करेगा और ऐसे अतिरिक्त कार्ड यूबीएल डेबिट कार्ड से संबंधित शर्तों के अधीन होंगे। संयुक्त अकाउंट्स से संबंधित यूबीएल डेबिट कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले सभी लेन-देन और दायित्व सभी संयुक्त अकाउंट धारकों पर बाध्यकारी होंगे और सभी संयुक्त अकाउंट धारकों के संयुक्त और व्यक्तिगत दायित्व होंगे। यदि अनुरोध किया जाता है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार पर ग्राहक को एक से अधिक यूबीएल डेबिट कार्ड उपलब्ध करा सकता है, जो बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त नियम और शर्तों के अधीन होंगे। अकाउंट्स के लिए अतिरिक्त अधिकृत उपयोगकर्ताओं या अतिरिक्त यूबीएल डेबिट कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त यूबीएल डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए जा सकते हैं (जो, यूबीएल डेबिट कार्ड के प्रयोजन के लिए, अकाउंट्स के अधिकृत उपयोगकर्ता भी माने जाएंगे)। किसी भी संदेह से बचने के लिए, ये नियम और शर्तें तथा इनके तहत किए गए सभी लेन-देन सभी अकाउंट धारकों और अधिकृत उपयोगकर्ताओं (किसी भी अतिरिक्त यूबीएल डेबिट कार्ड धारकों सहित) पर बाध्यकारी होंगे। इसके अलावा, और एक अलग दायित्व के रूप में, अकाउंट धारक यूबीएल डेबिट कार्ड के सभी अधिकृत उपयोगकर्ताओं (किसी भी अतिरिक्त यूबीएल डेबिट कार्ड धारकों सहित) द्वारा किए गए सभी लेन-देन और दायित्वों के लिए बैंक के प्रति संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह जिम्मेदार होंगे, भले ही अधिकृत उपयोगकर्ता की किसी कानूनी अक्षमता या असमर्थता के बावजूद, और अकाउंट धारक किसी भी अधिकृत उपयोगकर्ता (किसी भी अतिरिक्त यूबीएल डेबिट कार्ड धारक सहित) द्वारा इन नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के कारण बैंक को हुए या बैंक द्वारा वहन किए गए किसी भी नुकसान, क्षति, देयता, लागत और खर्च के लिए बैंक को संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से क्षतिपूर्ति देंगे। किसी अतिरिक्त यूबीएल डेबिट कार्ड धारक के लिए एक विशिष्ट सीमा निर्धारित की जा सकती है, जो ऐसे कार्ड के लिए अधिकतम लेन-देन सीमा होगी। इसके बावजूद, यदि कोई अतिरिक्त यूबीएल डेबिट कार्ड धारक निर्धारित सीमा से अधिक का लेन-देन करता है, तो ऐसा लेन-देन अकाउंट धारक/धारकों पर बाध्यकारी होगा। अतिरिक्त यूबीएल डेबिट कार्ड धारकों के अलावा, ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को यूबीएल डेबिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

25.19 बैंक को ऊपर बताए गए नियम और शर्तों में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है और बैंक की वेबसाइट पर सूचित किया गया ऐसा कोई भी संशोधन ग्राहक पर बाध्यकारी होगा।



25.20 ग्राहक और किसी व्यापारी, प्रतिष्ठान, बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य तीसरे पक्ष के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, ग्राहक की बैंक के प्रति देयता ऐसे विवाद या किसी भी ऐसी वसूली या ऑफसेट के अधिकार से प्रभावित हो सकती है, जो ग्राहक के पास ऐसे व्यापारी, बैंक या वित्तीय संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है।

26. टेलीफोन बैंकिंग

26.1 ग्राहक टेलीफोन के माध्यम से (या तो मानव इंटरफेस के जरिए या आईवीआर - इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के जरिए) कुछ सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंक को निर्देश दे सकेगा। ग्राहक बैंक के निर्देशों के अनुसार अपनी पहचान बताएगा। ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से इस सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा और अपनी पहचान संबंधी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा।

26.2 ग्राहक के निर्देशों पर कार्रवाई करने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और ग्राहक की ओर से निर्देश देने वाले किसी व्यक्ति या ग्राहक के रूप में प्रस्तुत होने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बैंक को दिए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम, दावे, कार्यवाही या नुकसान के लिए ग्राहक बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।

26.3 ग्राहक द्वारा गलती से या कथित रूप से दिए गए किसी गलत टेलीफोन निर्देश के कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक सहमत है कि बैंक ग्राहक द्वारा दिए गए या ग्राहक द्वारा कथित रूप से दिए गए किसी भी टेलीफोन निर्देश पर ग्राहक से किसी और लिखित या अन्य पुष्टि के बिना कार्रवाई कर सकता है, भले ही टेलीफोन निर्देश ग्राहक द्वारा दिए गए अधिकृत न किए गए हों।

26.4 ग्राहक बैंक के साथ होने वाली सभी टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने के लिए बैंक को सहमत देता है। ग्राहक समझता है कि फोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की सीमा में समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

26.5 ग्राहक टेलीफोन के माध्यम से निर्देश भेजने में निहित जोखिमों को भी स्वीकार करता है और सहमत है कि ऐसे निर्देशों के परिणामस्वरूप ग्राहक को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

27. ओवरड्राफ्ट सुविधा

27.1 ग्राहक समझता है कि बैंक द्वारा उसके नाम पर अकाउंट खोलने की सहमति देने से बैंक किसी भी प्रकार की क्रेडिट सुविधा ग्राहक को देने के लिए किसी भी तरह बाध्य नहीं होता और ऐसा करने का कोई भी निर्णय पूरी तरह बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।

27.2 ग्राहक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकता है, यदि वह बैंक के पूरे विवेकाधिकार पर निर्धारित कुछ क्रेडिट और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि ग्राहक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करता है, और जब तक लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो, ग्राहक बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज सहित उस पर देय किसी भी राशि की माँग पर अदायगी करेगा। जहाँ लागू हो, ग्राहक ओवरड्राफ्ट के उपयोग के लिए वार्षिक सेवा शुल्क का भी भुगतान करेगा।

27.3 यदि बैंक ग्राहक को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत होता है, तो यह उस सीमा तक और उस अवधि के लिए होगी जो बैंक अपने पूरे विवेकाधिकार से तय करे, तथा बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली किसी भी शर्तों के अधीन होगी।

27.4 ग्राहक उपर्युक्त खंड 22.1.2 में उल्लिखित अनुसार, ऐसे ओवरड्राफ्ट पर ब्याज का भुगतान करने का वचन देता है।

28. एसएमएस अलर्ट सेवा

28.1 परिभाषाएँ

निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का वही अर्थ होगा जो नीचे दर्शाया गया है, जब तक कि संदर्भ अन्यथा संकेत न करे:

"अकाउंट (खातों)" से आशय ग्राहक के बैंक अकाउंट्स और/ अथवा यूबीएल डेबिट कार्ड और/ अथवा होम लोन अकाउंट्स और/ अथवा ऑटो लोन अकाउंट्स और/ अथवा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अकाउंट्स और/ अथवा बैंक के पास रखे गए किसी भी अन्य प्रकार के अकाउंट्स से है, जो एसएमएस अलर्ट सेवा के संचालन हेतु योग्य हैं।

"अकाउंट जानकारी" से आशय ग्राहक द्वारा बैंक के पास रखे गए अकाउंट (खातों) से संबंधित जानकारी से है। "सेवा प्रदाता" से आशय बैंक के व्यावसायिक साझेदारों और विक्रेताओं से है। "अलर्ट्स" से आशय बैंक द्वारा ग्राहक को उसके मोबाइल फोन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अकाउंट जानकारी से है, जो बैंक द्वारा उत्पन्न एसएमएस संदेशों पर आधारित होती है और ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर उनके सेवा प्रदाताओं के माध्यम से बैंक द्वारा ग्राहक को भेजी जाती है।

"एसएमएस अलर्ट सेवा" से आशय बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली एसएमएस अलर्ट सेवा से है। "व्यक्तिगत जानकारी" से आशय ग्राहक द्वारा बैंक को प्रदान की गई जानकारी से है। "एसएमएस" से आशय "शॉर्ट मेसेज सर्विस" से है, जिसमें सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जीएसएम दूरसंचार प्रणाली पर अल्फ़ान्यूमेरिक संदेशों का भंडारण, रूटिंग और वितरण शामिल है।

बैंक अपने पूरे और एकमात्र विवेकाधिकार से इस सुविधा को सिर्फ़ कुछ अनुमत ग्राहकों तक सीमित रख सकता है, या समय-समय पर इसे विस्तारित कर सभी ग्राहकों के लिए आमतौर पर उपलब्ध करा सकता है।

28.2 ये नियम और शर्तें ग्राहक और बैंक के बीच एसएमएस अलर्ट सेवाओं हेतु अनुबंध का गठन करती हैं, जिसे बैंक अपने ग्राहकों को एक सेवा सुविधा के रूप में शुल्क सहित या शुल्क रहित, अथवा स्थानीय नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रदान कर सकता है। ग्राहक एसएमएस अलर्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अकाउंट खोलने के फॉर्म में अथवा लिखित आवेदन के माध्यम से, अथवा बैंक द्वारा ग्राहक को सूचित किए गए किसी अन्य अधिकृत/अनुमोदित माध्यम से बैंक को आवेदन भी कर सकता है। एसएमएस अलर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने पर, ग्राहक इन नियम और शर्तों को स्वीकार करता है और उनसे सहमत होता है।

28.3 जानकारी की सटीकता

28.3.1 एसएमएस अलर्ट सेवा के उपयोग हेतु बैंक को दी गई जानकारी की सत्यता के लिए ग्राहक उत्तरदायी है। बैंक ग्राहक द्वारा दी गई त्रुटिपूर्ण जानकारी से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है।

28.3.2 यदि ग्राहक को पंजीकरण फॉर्म अथवा किसी अन्य संप्रेषण में बैंक को दी गई जानकारी में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ग्राहक बैंक को त्रुटि सुधारने में सक्षम बनाने हेतु तुरंत लिखित रूप में बैंक को सूचित करेगा।

28.3.3 ग्राहक एसएमएस अलर्ट सेवाओं के प्रयोजन हेतु दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करेगा। मोबाइल फोन/सिम की किसी भी चोरी/हानि की सूचना तुरंत 600 533 335 पर कॉल करके शाखा को दी जाएगी। हानि/चोरी की सूचना दिए जाने से पहले भेजे गए संदेशों के लिए बैंक किसी भी हानि अथवा दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

28.4 संयुक्त अकाउंट्स

28.4.1 संयुक्त खातों की स्थिति में, बैंक सिर्फ़ एक पंजीकृत उपयोगकर्ता को ही एसएमएस अलर्ट भेजेगा।

28.4.2 संयुक्त अकाउंट्स में एसएमएस अलर्ट सेवा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले सभी लेनदेन सभी संयुक्त अकाउंटधारकों पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से बाध्यकारी होंगे।

28.5 हस्तांतरण योग्य नहीं किया जा सकता

ग्राहक को एसएमएस अलर्ट सेवाएँ प्रदान किया जाना पूरी तरह व्यक्तिगत प्रकृति का है तथा किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है।

28.6 एसएमएस अलर्ट सेवाओं की समाप्ति

ग्राहक बैंक को पंद्रह (15) दिन पूर्व लिखित सूचना देकर किसी भी समय एसएमएस अलर्ट सेवाओं को समाप्त करने का अनुरोध कर सकता है। बैंक किसी भी समय एसएमएस अलर्ट सेवाओं को पूरी तरह अथवा किसी विशिष्ट सेवा या ग्राहक के संदर्भ में वापस ले सकता है अथवा समाप्त कर सकता है; अथवा ग्राहक द्वारा इन नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के; अथवा यदि उसे ग्राहक की मृत्यु, दिवालियापन अथवा कानूनी क्षमता के अभाव की जानकारी प्राप्त होती है।

28.7 सामान्य

28.7.1 यहाँ दिए गए खंड शीर्षक केवल सुविधा हेतु हैं तथा संबंधित खंड के अर्थ को प्रभावित नहीं करते हैं। बैंक इन नियम और शर्तों के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उप-अनुबंध कर सकता है तथा एजेंटों अथवा सेवा प्रदाताओं को नियुक्त कर सकता है। एसएमएस अलर्ट सेवाओं हेतु दूरसंचार लागत सहित ग्राहक द्वारा वहन की जाने वाली सभी लागत ग्राहक द्वारा वहन की जाएगी।

28.7.2 बैंक अपने पूरे विवेकाधिकार से एसएमएस अलर्ट सेवाओं के दायरे और विशेषताओं का निर्धारण करेगा और उसी में संशोधन और परिवर्तन करने का हकदार होगा।

28.7.3 बैंक द्वारा एसएमएस अलर्ट सेवाओं को ग्राहक को बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी कारण से निलंबित अथवा समाप्त किया जा सकता है। बैंक किसी भी निलंबन, विलंब अथवा समाप्ति के लिए कोई उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेदारी नहीं लेगा।

28.7.4 ग्राहक इस बात से सहमत है कि एसएमएस अलर्ट सेवा के अंतर्गत प्राप्त कोई भी जानकारी सिर्फ़ सूचना के प्रयोजन हेतु है तथा जिस विषय से वह संबंधित है, उसका निर्णायक प्रमाण नहीं होगी।

28.7.5 किन्हीं भी तकनीकी कारणों से अनधिकृत व्यक्तियों को एसएमएस के माध्यम से पहुँचाई गई किसी भी जानकारी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

28.7.6 बैंक द्वारा प्रदान किए गए एसएमएस के किसी भी दुरुपयोग, धोखाधड़ीपूर्ण अथवा अनुचित उपयोग के कारण बैंक को होने वाली किसी भी क्षति के लिए ग्राहक उत्तरदायी होगा।

28.7.7 एसएमएस अलर्ट सेवाओं के संबंध में ग्राहक द्वारा बैंक को दी गई किसी भी जानकारी, अर्थात् ग्राहक के मोबाइल नंबर, ई-मेल अकाउंट्स, फैक्स नंबर में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, ग्राहक तुरंत बैंक को सूचित करेगा। यदि ग्राहक बैंक को अपडेट की गई जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है, तो ग्राहक द्वारा संदेश अलर्ट प्राप्त न किए जाने के लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक इस सेवा को ग्राहक के लिए उपलब्ध कराने के प्रयोजन हेतु, समय-समय पर बैंक द्वारा आवश्यक किसी भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत है। ग्राहक प्रमाणित करता है कि बैंक के साथ ग्राहक के संबंध रिकॉर्ड में दी गई जानकारी सही है। ग्राहक के संबंध रिकॉर्ड के ब्योरे में किसी भी बदलाव की स्थिति में, ग्राहक तुरंत बैंक को सूचित करेगा।

28.7.8 स्वामित्व अधिकार: ग्राहक स्वीकार करता है कि एसएमएस अलर्ट सेवा को समर्थन देने वाला सॉफ़्टवेयर, जो उक्त सेवा के प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक है, बैंक की कानूनी संपत्ति है। एसएमएस अलर्ट सेवाएँ प्रदान किए जाने से ग्राहकों को ऐसे सॉफ़्टवेयर के किसी भी स्वामित्व अधिकार का हस्तांतरण नहीं होता है। ग्राहक एसएमएस अलर्ट सेवाओं हेतु उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर में संशोधन, अनुवाद, डिसअसेंबल, डिक्पाइल अथवा रिवर्स इंजीनियरिंग करने का, अथवा उक्त सॉफ़्टवेयर के आधार पर कोई उत्पन्न उत्पाद बनाने का प्रयास नहीं करेगा।

29. सैक्शन

बैंक के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कानूनों तथा यूएई के केंद्रीय बैंक और अधिकार-क्षेत्र रखने वाले अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी विनियमों, नीतियों और निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें सैक्शन से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं (इन्हें "लागू कानून" कहा जाएगा)। तदनुसार, इन नियम और शर्तों के अंतर्गत प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं की एक शर्त यह है कि बैंक किसी भी ऐसे अनुदेश को स्वीकार नहीं करेगा या किसी भी ऐसे लेनदेन को संसाधित नहीं करेगा, जो लागू कानून का उल्लंघन करता हो अथवा अन्यथा गैरकानूनी हो। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप किसी भी पक्ष द्वारा वहन किए गए अथवा भुगते गए किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम या नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

30. असाइनमेंट

ये नियम और शर्तें ग्राहक और बैंक के क्रमशः उत्तराधिकारियों और/या अधिकृत हस्तांतरित पक्षों पर बाध्यकारी होंगी तथा उनके लाभ के लिए प्रभावी होंगी। ग्राहक इन नियम और शर्तों के अंतर्गत अपने किसी भी अधिकार अथवा दायित्व को किसी भी व्यक्ति को असाइन नहीं कर सकता है। बैंक ग्राहक की सहमति



के बिना इन नियम और शर्तों के अंतर्गत अपने अधिकारों एवं दायित्वों को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से असाइन कर सकता है।

31. क्षतिपूर्ति

31.1 ग्राहक बैंक को क्षतिपूर्ति करने और उसे किसी भी हानि, क्षति, दायित्व, लागत और खर्चों से, चाहे वे कानूनी हों अथवा अन्यथा, जो बैंक को ग्राहक द्वारा बैंक से प्राप्त किसी उत्पाद अथवा सेवा के कारण अथवा अन्यथा इन नियम और शर्तों के अंतर्गत उठाने पड़ें, उससे मुक्त रखने का वचन देता है तथा सहमत होता है, जिसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित शामिल हैं:

31.1.1 ग्राहक द्वारा उसका कोई भी उल्लंघन

31.1.2 ग्राहक से प्राप्त स्थायी निर्देशों का बैंक द्वारा संसाधन

31.1.3 ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या ग्राहक की ओर से निर्देश देने के लिए कथित रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देशों पर बैंक द्वारा कार्रवाई करना, जिसमें टेलीफोन, आईवीआर (जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है) या इसी प्रकार के अन्य माध्यमों से प्राप्त निर्देश भी शामिल हैं

31.1.4 संबंधित टेलीफोन, आईवीआर या समान प्रणालियों के अंतर्गत कोई भी त्रुटि अथवा यांत्रिक विफलता

31.1.5 ग्राहक द्वारा यूबीएल डेबिट कार्ड का उपयोग, अथवा

31.1.6 ग्राहक द्वारा एसएमएस अलर्ट सेवा का उपयोग, अथवा

31.1.7 यहाँ प्राधानित बैंक के अधिकारों का प्रवर्तन। इन नियम और शर्तों को बदलने अथवा बदलाव कराने का प्रयास करने में, अथवा अन्यथा, बैंक द्वारा उठाई गई अटॉर्नी शुल्क सहित सभी लागतें एवं खर्च, अकाउंट्स अथवा बैंक के पास ग्राहक के किसी भी अन्य अकाउंट्स में डेबिट किए जा सकते हैं और ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाएंगे। किसी भी संदेह के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दायित्व, ग्राहक द्वारा बैंक से प्राप्त सभी अथवा किन्हीं भी उत्पादों अथवा सेवाओं की समाप्ति के पश्चात् भी प्रभावी बने रहेंगे।

31.2 ग्राहक के विपरीत निर्देश देने के बावजूद, बैंक लागू कानून के अनुसार या अन्य बैंकों के द्वारा अथवा वित्तीय संस्थानों के साथ किए गए अपने समझौतों की शर्तों के अनुसार काम करता है, तो उसके कारण होने वाली किसी भी हानि या नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

31.3 बैंक की किसी भी हानि के लिए बैंक, उसके कर्मचारियों अथवा एजेंटों के किसी भी कृत्य अथवा लोप हेतु ग्राहक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि उक्त हानि सीधे तौर पर बैंक की घोर लापरवाही अथवा जानबूझकर किए गए कदाचार से उत्पन्न न हो।

31.4 बैंक की किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक अथवा परिणामी हानि अथवा क्षति (ब्याज की हानि सहित) के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, भले ही उसे ऐसी हानि अथवा क्षति की संभावना के बारे में सूचित किया गया हो।

32. पता/ अन्य विवरण

अकाउंट खोलने के फॉर्म में दर्शाया गया पता/ अन्य विवरण ग्राहक को कोई सूचना, विवरणी अथवा समन भेजने हेतु पता/ अन्य विवरण माना जाएगा, जब तक कि ग्राहक बैंक को पते/ अन्य विवरण में परिवर्तन की सूचना न दे।

33. जानकारी का संकलन और प्रकटीकरण

33.1 ग्राहक एतद्वारा बैंक को, ग्राहक को किसी संदर्भ अथवा पूर्व सूचना के बिना, किसी भी समय अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों, ग्राहक के नियोक्ता (यदि कोई हो), तथा/अथवा किसी अन्य ऐसी संस्था से पूछताछ करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे। ऐसी पूछताछ ग्राहक तथा/अथवा उसकी पहचान से संबंधित वित्तीय तथा/अथवा गैर-वित्तीय जानकारी से संबंधित हो सकती है, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं का ब्योरा, आय, ग्राहक की सामान्य वित्तीय स्थिति तथा/अथवा ग्राहक से संबंधित अन्य जानकारी शामिल है, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

33.2 ग्राहक अपने से तथा/अथवा खातों से संबंधित किसी भी जानकारी को अन्य क्रेडिट एजेंसियों, बैंकिंग संस्थानों, सेवा प्रदाताओं, बैंक के पूर्णतः अथवा आंशिक व्यवसाय के संभावित अंतरितियों, अथवा बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रकटीकरण हेतु अधिकृत करता है।

33.3 ग्राहक बैंक को यूआई के भीतर अथवा बाहर उसके आवासीय पते के संबंध में पूछताछ करने के लिए भी अधिकृत करता है। बैंक एतद्वारा ऐसी पूछताछ प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने एजेंटों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के माध्यम से करने हेतु अधिकृत है।

33.4 मैं/हम, नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति, स्थानीय/संघीय कानूनों के अंतर्गत अपने अकाउंट्स के ब्योरे की सुरक्षा हेतु मुझे/हमें प्राप्त किसी भी अधिकार को स्पष्ट रूप से त्यागता/त्यागते हैं, तथा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को स्पष्ट रूप से और बिना शर्त यह अनुमति देता/देते हैं कि वह अपने विवेकानुसार आवश्यक जानकारी किसी भी नियामक प्राधिकरण को प्रदान करे और/या यूआई के कानूनों, नियमों, विनियमों या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत ऐसी जानकारी तक एक्सेस की अनुमति दे, अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएस ट्रेजरी इंटरनल रेवेन्यू सर्विसज़ अथवा उसके प्रतिनिधियों अथवा एजेंटों को प्रदान करे, तथा एतद्वारा सहमति देता/देते हैं, स्वीकार करता हूँ/करते हैं और पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को बैंक के पास मेरे/हमारे किसी भी अकाउंट्स के संबंध में मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी को, चाहे वह किसी भी प्रकृति की हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएस ट्रेजरी इंटरनल रेवेन्यू सर्विसज़ अथवा उसके प्रतिनिधियों अथवा एजेंटों को, जब अनुरोध किया जाए और जैसा बैंक द्वारा आवश्यक समझा जाए, प्रकट करने का अनन्य अधिकार होगा।

34. सामान्य नियमों का संशोधन

34.1 बैंक को किसी भी समय इन नियमों और शर्तों को संशोधित, परिवर्तित या उनमें अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने का अधिकार होगा। ऐसा संशोधन, परिवर्तन या अतिरिक्त प्रावधान, बैंक द्वारा ग्राहक को इसकी सूचना ("बैंक सूचना") जारी किए जाने के साठ (60) दिनों ("सूचना अवधि") के बाद प्रभावी होगा। बैंक यह सूचना निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से दे सकता है: (i) अकाउंट खोलने के फॉर्म में दिए गए ग्राहक के ई-मेल पते, आवासीय पते और/या एसएमएस नंबर पर; (ii) ग्राहक द्वारा लिखित रूप में बैंक को सूचित किए गए किसी अन्य ई-मेल पते पर; (iii) किसी अन्य औपचारिक संचार माध्यम के जरिए; या (iv) बैंक के

किसी भी कार्यालय या शाखा में उपयुक्त सूचना को प्रमुखता से प्रदर्शित करके।

34.2 बैंक की सूचना में यह पुष्टि की जाएगी कि नियमों और शर्तों में संशोधन, बदलाव या अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं और संशोधित नियमों और शर्तों को बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

34.3 ग्राहक इस बात से सहमत है कि यदि वह सूचना अवधि की समाप्ति के बाद बैंक की किसी भी अकाउंट/बैंकिंग सेवा का उपयोग करता है, तो बैंक की अकाउंट/बैंकिंग सेवाओं का ऐसा निरंतर उपयोग, बैंक सूचना में सूचित संशोधित नियम और शर्तों के लिए ग्राहक की सहमति और अनुमोदन माना जाएगा।

34.4 यदि ग्राहक संशोधित, बदलाव या अतिरिक्त प्रावधानों सहित नियमों और शर्तों से सहमत नहीं है, तो उसे सूचना अवधि के भीतर बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। ग्राहक सहमत है कि यदि वह सूचना अवधि के भीतर ऐसी असहमति के संबंध में बैंक को सूचित नहीं करता है, तो इसे संशोधित, बदलाव या अतिरिक्त प्रावधानों सहित नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।

35. शर्तों का विरोधाभास

इन नियम और शर्तों तथा ग्राहक और बैंक के मध्य किसी भी करार के किसी अन्य प्रावधान के बीच किसी भी विरोधाभास अथवा असंगति की स्थिति में, ये नियम और शर्तें अभिभावी होंगी।

36. कानून और अधिकारक्षेत्र

36.1 ये नियम और शर्तें यूआई के कानूनों द्वारा शासित हैं।

36.2 इन नियम और शर्तों से उत्पन्न होने वाले अथवा उनसे संबंधित पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद अथवा मतभेद पर, सीबीयूआई अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण के किसी भी नियामक अथवा पर्यवेक्षी अधिकारक्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यूआई के न्यायालयों का गैर-अनन्य अधिकारक्षेत्र लागू होगा।

37. सूचनाएँ

37.1 बैंक द्वारा अथवा बैंक से भेजी गई कोई भी सूचना, करार, माँग अथवा अन्य संप्रेषण, जिसमें अकाउंट्स का विवरण भी शामिल है, को उस समय वैध रूप से पहुँचाया गया माना जाएगा जब उसे अकाउंट खोलने के फॉर्म में दर्शाए गए ग्राहक के पते, टेलेक्स, फैक्स नंबर अथवा ई-मेल पते पर, अथवा ग्राहक द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में बैंक को सूचित किए गए पते पर भेजा जाए। ग्राहक को पत्राचार भेजा जाना, बैंक के ऐसे प्रेषण संबंधी अभिलेखों से स्थापित होगा, जिसमें फैक्स, टेलेक्स, डाक मेल, कूरियर, ई-मेल शामिल हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

37.2 ग्राहक द्वारा बैंक को जारी की गई कोई भी सूचना, अनुदेश अथवा अन्य संप्रेषण लिखित रूप में (इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल के माध्यम से अथवा भौतिक रूप से) जारी की जाएगी, तथा बैंक के उपयुक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने पर उसे वैध रूप से जारी अथवा अनुपालन किया गया माना जाएगा।

38. समायोजन

38.1 बैंक किसी भी समय (किसी भी सावधि जमा अकाउंट्स की मैच्योरिटी तारीख से पूर्व सहित), ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना, ग्राहक के नाम में अथवा बैंक की किसी भी शाखा में संयुक्त नाम में रखे गए किसी भी अकाउंट्स में ग्राहक को प्राप्त होने योग्य किसी भी जमा शेष को, ग्राहक द्वारा देय किंतु भुगतान न किए गए किसी भी बकाया राशि की पूर्ति हेतु प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोजन हेतु, बैंक किसी अकाउंट्स में जमा राशि से, आवेदन को प्रभावी करने हेतु आवश्यक अन्य करों की खरीद सकता है। यह प्राधिकार अपरिवर्तनीय है तथा ग्राहक बैंक की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इसे रद्द नहीं कर सकता है।

38.2 बैंक को किसी भी पक्ष, जिसमें ग्राहक भी शामिल है, की देयता को यथावत बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, जब ग्राहक के दिवालियापन या दिवालियापन-समान स्थिति को सिद्ध करने के लिए कोई रिट या समन जारी किया गया हो या बैंक द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य कारण से, बैंक को किसी भी समय इस अनुबंध के तहत या किसी प्रतिभूति अथवा गारंटी के अंतर्गत प्राप्त, वसूल या प्राप्त की गई किसी भी धनराशि को ग्राहक के अकाउंट्स में जमा करने और उतनी अवधि तक अपने पास रखने का अधिकार होगा, जितनी अवधि बैंक विवेकानुसार उचित समझे। ऐसी धनराशि को बैंक अपनी उचित समझ के अनुसार रख सकता है और बैंक पर ऐसी धनराशि या उसके किसी भाग को देय एवं बकाया राशियों के भुगतान में या उनके विरुद्ध समायोजित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

38.3 बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ग्राहक के किसी भी अकाउंट्स से, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो और कहीं भी स्थित हो, बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय किसी भी शुल्क, फीस या खर्च की राशि डेबिट कर सके तथा ऐसे किसी भी अकाउंट्स में उपलब्ध राशियों को बैंक द्वारा अपने एकमात्र विवेकाधिकार से निर्धारित तत्कालीन प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित कर सके। d) ग्राहक के नाम पर बैंक की किसी भी शाखा में रखी गई, अथवा जो बैंक के कब्जे या नियंत्रण में आ सकती हैं, ऐसी सभी प्रतिभूतियाँ, बिल, क्रेडिट शेषराशियाँ, जमा राशियाँ, बैंक नोट, सोना या इसी प्रकृति की अन्य संपत्ति, अकाउंट्स के अंतर्गत या अन्यथा बैंक को देय किसी भी राशि के भुगतान के साथ-साथ उस पर देय सभी ब्याज और अन्य शुल्कों की सुरक्षा के रूप में बैंक के पास रखी जाएँगी। बैंक को ग्राहक की देनदारी के विरुद्ध ऐसी प्रतिभूति को समायोजित करने/रोकने का पहला अधिकार होगा।

39. रिकवरी

ग्राहक एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक को ग्राहक से देय किसी भी राशि की वसूली हेतु, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर तथा बाहर, किसी भी सेवा प्रदाता, जिसमें अधिवक्ता तथा/अथवा वसूली एजेंसियाँ ("पेशेवर") शामिल हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, को अधिकृत करने तथा नियुक्त करने का अधिकार है। ग्राहक एतद्वारा बैंक को उक्त पेशेवरों को अकाउंट्स अथवा ग्राहक से संबंधित कोई भी जानकारी तथा/अथवा दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। ग्राहक आगे यह भी स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक द्वारा उक्त पेशेवरों को ग्राहक से देय राशियों की वसूली हेतु सभी आवश्यक और उपयुक्त उपाय अपनाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

40. वैट और अन्य कर/शुल्क

यूबीएल को किसी भी प्रकार, कमीशन अथवा शुल्क के संबंध में, किसी भी समय, ग्राहक तथा/अथवा ग्राहक के अकाउंट्स (खातों) से किसी भी लागू वैट, अथवा अन्य लागू कर एवं शुल्क के समतुल्य राशि प्रभारित



करने, संकलित करने तथा/अथवा काटने का अधिकार सुरक्षित है। ग्राहक एतद्वारा किसी भी लागू प्रभार, कमीशन एवं शुल्क के अतिरिक्त, लागू वैट तथा समान कर/शुल्क की राशि का भुगतान करने हेतु सहमत होता है।

41. डिजिटल माध्यम/ऐप

41.1 ग्राहक बिना किसी शर्त के यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि पासवर्ड को गोपनीय रखा जाए और जब ग्राहक डिजिटल चैनल/ऐप का उपयोग कर रहा हो, तब किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को इंटरनेट तक एक्सेस न दिया जाए।

41.2 ग्राहक अपने डिजिटल माध्यम/ऐप अथवा किसी भी अन्य पासवर्ड/पासकी/पिन को किसी भी व्यक्ति के समक्ष, चाहे अनजाने में, स्वेच्छा से, आकस्मिक रूप से अथवा भूलवश, प्रकट नहीं करेगा। यदि ग्राहक डिजिटल माध्यम/ऐप का पासवर्ड भूल जाता है, तो वह यूबीएल यूआई की वेबसाइट/मोबाइल ऐप के माध्यम से नए पासवर्ड जारी करने का अनुरोध कर सकता है/सकती है।

41.3 ग्राहक सहमत है और स्वीकार करता है कि यदि डिजिटल चैनल/ऐप का उपयोग करके ग्राहक द्वारा अपने अकाउंट्स/खातों से संबंधित जानकारी साझा करने या ग्राहक के निर्देशों का पालन करने के कारण ग्राहक को किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान होता है, तो इसके लिए यूबीएल यूआई किसी भी तरह जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी किसी भी हानि या नुकसान के संबंध में ग्राहक यूबीएल यूआई को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेगा और उसे किसी भी दायित्व से सुरक्षित रखेगा।

41.4 ग्राहक डिजिटल माध्यम/ऐप के अनधिकृत एवं गैरकानूनी उपयोग को, तथा डिजिटल माध्यम/ऐप द्वारा प्रदत्त खातों तक अनधिकृत एक्सेस को रोकने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतेगा।

42. लाभकारी मालिकाना हक अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में परिवर्तन की सूचना

ग्राहक अपने लाभकारी स्वामित्व अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को सूचित करने हेतु उत्तरदायी है। इसमें स्वामित्व संरचना, नियंत्रण, प्रमुख प्रबंधन में बदलाव तथा व्यावसायिक गतिविधियों के दायरे या प्रकृति में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सूचना लिखित रूप में तथा परिवर्तन की प्रभावी तिथि के 30 दिनों के अंदर दी जानी चाहिए। ऐसे परिवर्तनों के बारे में बैंक को अपडेट करने में विफल रहने पर, बैंक की नीतियों के अनुसार सेवाओं का निलंबन अथवा समाप्ति हो सकती है।

43. नियम और शर्तों की स्वीकृति

ग्राहक ने उपर्युक्त नियम और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि हेतु अकाउंट खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। टैबलेट पर ई-हस्ताक्षर के साथ अकाउंट खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर करके, आप निहित रूप से निम्नलिखित के लिए सहमत होते हैं:

43.1 एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ तथा एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करना।

43.2 यह समझना कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

43.3 यह पुष्टि करना कि आपने दस्तावेज़ पढ़ लिया है, जो आपके समक्ष बैंक प्रतिनिधि द्वारा भरा गया है, तथा यह कि उक्त ब्योरे सटीक और पूरे हैं।

43.4 यह स्वीकार करना कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों पर विवाद नहीं करेंगे तथा सदैव नियम और शर्तों का पालन करेंगे, जो समय-समय पर अपडेट की जाएँगी तथा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।



गोपनीयता नोटिस

प्रभावी तिथि: सितंबर 2026

यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, संयुक्त अरब अमीरात ("यूबीएल यूईई", "बैंक", "हम", "हमें" अथवा "हमारा") अपने ग्राहकों, संभावित ग्राहकों, अधिकृत प्रतिनिधियों एवं अन्य व्यक्तियों ("ग्राहक" अथवा "आप") की गोपनीयता एवं व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हेतु, यूईई संघीय आदेश-कानून संख्या 45 वर्ष 2021, व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण पर ("पीडीपीएल"), उसके कार्यान्वयन विनियमों, तथा यूईई सेंट्रल बैंक ("सीबीयूईई") द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विनियम (2020) और लागू परिपत्रों के तहत जारी उपभोक्ता संरक्षण मानकों के अनुसार, प्रतिबद्ध है।

यह गोपनीयता नोटिस यह स्पष्ट करता है कि हम कौन-सा व्यक्तिगत डेटा संकलित करते हैं, हम उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं, हम उसे किसके साथ साझा करते हैं, तथा आपको कौन-से अधिकार उपलब्ध हैं। हमारे पास अकाउंट खोलकर अथवा बनाए रखकर, अथवा हमारे किसी भी उत्पाद, सेवा, प्लेटफॉर्म अथवा डिजिटल माध्यम का उपयोग करके, आप यह स्वीकार करते हैं कि आपने यह गोपनीयता नोटिस पढ़ और समझ लिया है।

1. डेटा नियंत्रक

आपके व्यक्तिगत डेटा हेतु उत्तरदायी डेटा नियंत्रक यूनाइटेड बैंक लिमिटेड – यूईई है, जो संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक (सीबीयूईई) द्वारा लाइसेंसप्राप्त और विनियमित एक विदेशी बैंक शाखा है। डेटा गोपनीयता संबंधी मामलों हेतु हमारे पंजीकृत संपर्क ब्योरे इस नोटिस के खंड 17 में दिए गए हैं।

2. परिभाषाएँ

इस गोपनीयता नोटिस में प्रयुक्त होने पर, निम्नलिखित शब्दों एवं वाक्यांशों का वही मतलब होगा जो नीचे दर्शाया गया है, तथा जो पीडीपीएल के अंतर्गत परिभाषित है:

"व्यक्तिगत डेटा" - से आशय किसी पहचान की गई अथवा पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित किसी भी जानकारी से है, जिसमें नाम, पहचान संख्या, स्थान डेटा, ऑनलाइन पहचानकर्ता, वित्तीय डेटा, अथवा उक्त व्यक्ति की भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहचान से संबंधित विशिष्ट कारक शामिल हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जैसा कि पीडीपीएल के अंतर्गत परिभाषित है।

"प्रोसेसिंग" - से आशय व्यक्तिगत डेटा पर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई अथवा कार्रवाइयों के समूह से है, जिसमें संकलन, अभिलेखन, संगठन, संरचना, भंडारण, अनुकूलन, पुनर्प्राप्ति, उपयोग, प्रकटीकरण, प्रतिबंध, मिटाना अथवा नष्ट करना शामिल है।

"संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा" - से आशय ऐसे व्यक्तिगत डेटा से है जो नस्लीय अथवा जातीय मूल, राजनीतिक विचार, धार्मिक अथवा दार्शनिक मान्यताएँ, स्वास्थ्य डेटा, बायोमेट्रिक डेटा, अनुवंशिक डेटा, किसी व्यक्ति के यौन जीवन अथवा यौन रुझान से संबंधित डेटा, अथवा आपराधिक रिकॉर्ड डेटा को प्रकट करता है, जैसा कि पीडीपीएल के अंतर्गत परिभाषित है।

"सीबीयूईई" - से आशय संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक से है।

"पीडीपीएल" - से आशय यूईई संघीय आदेश-कानून संख्या 45 वर्ष 2021, व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता के संरक्षण पर, तथा उसके कार्यान्वयन विनियमों से है, जो समय-समय पर यथासंशोधित हों।

"सेवाएँ" - से आशय यूबीएल यूईई द्वारा ग्राहकों को समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले सभी बैंकिंग उत्पादों, सेवाओं, डिजिटल माध्यमों, प्लेटफॉर्मों, अनुप्रयोगों एवं सुविधाओं से है।

3. हमारे द्वारा संकलित व्यक्तिगत डेटा

हम लागू कानूनी अपेक्षाओं के अधीन, व्यक्तिगत डेटा की निम्नलिखित श्रेणियों को संकलित और प्रोसेस करते हैं:

3.1 पहचान एवं संपर्क डेटा: पूरा कानूनी नाम; जन्म तिथि; राष्ट्रीयता; पासपोर्ट, अमीरात आईडी अथवा राष्ट्रीय पहचान संख्या; आवासीय पता; टेलीफोन नंबर; ई-मेल पता; और नमूना हस्ताक्षर।

3.2 वित्तीय और लेनदेन डेटा: बैंक अकाउंट्स के ब्योरे; क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी; अकाउंट शेष; लेनदेन इतिहास; आय के ब्योरे; निधियों के स्रोत और संपत्ति के स्रोत की घोषणाएँ; क्रेडिट इतिहास और निवेश प्रोफाइल।

3.3 केवाईसी और जाँच-पड़ताल संबंधी जानकारी: पहचान दस्तावेजों की प्रतियाँ; पते का प्रमाण; कर पहचान संख्याएँ; राजनीतिक रूप से संपर्कित व्यक्ति (पीडीपी) की स्थिति; प्रतिबंध जाँच के परिणाम; तथा ग्राहक जोखिम वर्गीकरण।

3.4 रोज़गार और व्यावसायिक डेटा: नियोक्ता का नाम और पता; व्यवसाय; व्यावसायिक पंजीकरण के ब्योरे; लाभकारी स्वामित्व की जानकारी; तथा जहाँ लागू हो, वहाँ व्यावसायिक लाइसेंस संख्याएँ।

3.5 डिवाइस और डिजिटल डेटा: आईपी पता; डिवाइस पहचानकर्ता; ब्राउज़र प्रकार; ऑपरेटिंग सिस्टम; एक्सेस लॉग; कुकीज़ एवं समान ट्रैकिंग तकनीकें; स्थान डेटा (जहाँ सक्षम हो); और हमारे डिजिटल माध्यमों एवं मोबाइल ऐप से प्राप्त उपयोग डेटा।

3.6 बायोमेट्रिक डेटा: यूईई कानून के अनुसार, हमारी शाखाओं में अथवा अधिकृत तीसरे-पक्ष सत्यापन सेवाओं के माध्यम से पहचान सत्यापन के प्रयोजन हेतु संकलित फिंगरप्रिंट डेटा अथवा अन्य बायोमेट्रिक पहचानकर्ता।

3.7 संप्रेषण डेटा: टेलीफोन कॉल के अभिलेख (जिन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है), पत्राचार, शिकायतें, तथा हमारी सेवाओं के संबंध में आपके द्वारा अथवा आपको किए गए पृष्ठताछ।

3.8 संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा: हम संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रोसेसिंग केवल तब करते हैं जब वह पूर्णतः आवश्यक हो, उदाहरण के लिए बीमा अथवा सुगम्यता संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में स्वास्थ्य जानकारी, अथवा हमारे एएमएल/सीएफटी दायित्वों के अनुसार आवश्यक आपराधिक रिकॉर्ड डेटा। हम ऐसी स्थिति में आपकी स्पष्ट सहमति प्राप्त करेंगे, जहाँ कानून द्वारा यह अपेक्षित हो।

4. हम व्यक्तिगत डेटा किस प्रकार संकलित करते हैं

हम निम्नलिखित स्रोतों से व्यक्तिगत डेटा संकलित करते हैं:

4.1 सीधे आपसे: जब आप अकाउंट खोलने का फॉर्म, आवेदन फॉर्म अथवा अन्य बैंक दस्तावेज़ीकरण भरते हैं; जब आप हमारी शाखाओं, एटीएम, डिजिटल माध्यमों, मोबाइल ऐप अथवा टेलीफोन बैंकिंग का उपयोग करते हैं; जब आप किसी भी माध्यम से हमारे साथ पत्राचार करते हैं; तथा जब आप सर्वेक्षणों अथवा प्रचारों का उत्तर देते हैं।

4.2 स्वचालित रूप से: हमारे डिजिटल माध्यमों, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एटीएम के माध्यम से, कुकीज़, वेब ब्रीकन, लॉग तथा समान तकनीकों का उपयोग करते हुए, जैसा कि इस नोटिस के खंड 13 में आगे वर्णित है।

4.3 तीसरे-पक्ष और सार्वजनिक स्रोत: क्रेडिट संदर्भ एजेंसियाँ; सरकारी पहचान डेटाबेस; प्रतिबंध एवं पीपीपी जाँच प्रदाता; धोखाधड़ी निवारण एजेंसियाँ; नियोक्ता; परिचयकर्ता; संवाददाता बैंक; तथा जहाँ कानून द्वारा अनुमत हो, वहाँ अन्य वित्तीय संस्थान।

4.4 नियामक और कानून प्रवर्तन निकाय: जहाँ हमें लागू कानून द्वारा सीबीयूईई, यूईई वित्तीय आसूचना इकाई, अथवा अन्य सरकारी अथवा नियामक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता हो अथवा अनुमति हो।

5. प्रोसेसिंग हेतु कानूनी आधार

हम पीडीपीएल और लागू कानून के अंतर्गत, निम्नलिखित कानूनी आधारों पर आपके व्यक्तिगत डेटा का प्रोसेसिंग करते हैं:

5.1 संविदात्मक आवश्यकता: प्रोसेसिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह उस अनुबंध को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिसमें आप एक पक्ष हैं, या हमारे साथ अनुबंध करने से पहले आपके अनुरोध पर आवश्यक कदम उठाने के लिए यह जरूरी है। इसमें आपका अकाउंट खोलना और संचालित करना, लेनदेन का प्रोसेसिंग करना, कार्ड जारी करना, तथा सभी करार की गई बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

5.2 कानूनी दायित्व: प्रोसेसिंग, हम पर लागू किसी कानूनी दायित्व के अनुपालन हेतु आवश्यक है, जिसमें यूईई संघीय कानून संख्या 20 वर्ष 2019, धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण के मुकाबले पर (एएमएल/सीएफटी कानून), सीबीयूईई विनियम, कर रिपोर्टिंग दायित्व (फ्रैटका और सीआरएस सहित), तथा न्यायालय के आदेश शामिल हैं।

5.3 वैध हित: प्रोसेसिंग हमारे या किसी तीसरे पक्ष के वैध हितों के लिए आवश्यक है, बशर्ते कि आपके हित या आपके मौलिक अधिकार इन हितों पर प्राथमिकता न रखते हों। इसमें धोखाधड़ी का पता लगाना एवं उसकी रोकथाम, सुरक्षा निगरानी, नेटवर्क एवं सूचना सुरक्षा, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, तथा हमारी सेवाओं एवं डिजिटल माध्यमों में सुधार शामिल है।

5.4 सहमति: जहाँ हम आपकी सहमति को कानूनी आधार के रूप में मानते हैं, वहाँ हम प्रोसेसिंग से पूर्व आपकी स्पष्ट एवं सुविज्ञ सहमति प्राप्त करेंगे। आप किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं, जिससे आपकी सेवाएँ पहले किए गए प्रोसेसिंग की वैधता प्रभावित नहीं होगी। सहमति की वापसी से कुछ वैकल्पिक सेवाओं तक आपका एक्सेस प्रभावित नहीं हो सकता।

5.5 महत्वपूर्ण हित: असाधारण परिस्थितियों में, हम आपके अथवा किसी अन्य व्यक्ति के महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक होने पर व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं।

5.6 सार्वजनिक हित: प्रोसेसिंग, सार्वजनिक हित में किए जाने वाले किसी कार्य के निष्पादन हेतु, अथवा आधिकारिक प्राधिकार के प्रयोग हेतु आवश्यक हो सकता है, जिसमें नियामक रिपोर्टिंग और पर्यवेक्षी गतिविधियाँ शामिल हैं।

6. हम आपके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग किस प्रकार करते हैं

हम आपके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु करते हैं:

6.1 अकाउंट और सेवा प्रबंधन: आपके अकाउंट्स (खातों) को खोलना, संचालित करना, बनाए रखना और बंद करना; लेनदेन, भुगतान और ट्रांसफ़र को प्रोसेसिंग करना; कार्ड जारी करना एवं प्रबंधित करना; इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं टेलीफोन बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना; तथा हमारे पास आपके पास मौजूद सभी उत्पादों एवं सेवाओं का प्रशासन करना।

6.2 पहचान सत्यापन और केवाईसी अनुपालन: यूईई के एएमएल/सीएफटी कानून, सीबीयूईई के विनियमों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार आपकी पहचान सत्यापित करना; समय-समय पर आवश्यक जाँच-पड़ताल करना; तथा लागू प्रतिबंध सूची और पीपीपी डेटाबेस में आपकी जाँच करना।

6.3 क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन: साख का मूल्यांकन करना; क्रेडिट जोखिम प्रबंधित करना; क्रेडिट संदर्भ जाँच करना; तथा उधार अथवा अन्य क्रेडिट सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में निर्णय लेना।

6.4 नियामक अनुपालन एवं रिपोर्टिंग: यूईई कानून एवं लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों को पूरा करना, जिसमें फ्रैटका (यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को) के अंतर्गत कर रिपोर्टिंग, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (सीआरएस) तथा लागू यूईई विधान शामिल हैं; यूईई वित्तीय आसूचना इकाई को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करना; और सीबीयूईई की पर्यवेक्षी अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

6.5 धोखाधड़ी निवारण और सुरक्षा: धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन, वित्तीय अपराध, अनधिकृत पहुँच एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों का पता लगाना, जाँच करना एवं उनकी रोकथाम करना; भौतिक एवं डिजिटल सुरक्षा सहित सुरक्षा प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करना; और बैंक तथा उसके ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना।

6.6 ग्राहक संप्रेषण: आपके अकाउंट्स, लेनदेन, सेवा से जुड़े अपडेट, नियामक प्रकटीकरणों, तथा आपकी पृष्ठताछ और शिकायतों के उत्तरों के संबंध में आपसे संप्रेषण करना।

6.7 मार्केटिंग और उत्पाद विकास: जहाँ आपने सहमति प्रदान की हो, अथवा जहाँ हमारा कोई वैध हित हो, वहाँ यूबीएल यूईई अथवा उसकी समूह कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऐसे उत्पादों, सेवाओं और प्रचारों के बारे में आपको सूचित करना जो आपके लिए हितकर हो सकते हैं; तथा मार्केट अनुसंधान और ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करना।

6.8 विश्लेषण और सेवा सुधार: हमारे डिजिटल माध्यमों के उपयोग पैटर्न का विश्लेषण करना; हमारे उत्पादों, सेवाओं एवं ग्राहक अनुभव में सुधार करना; और आंतरिक रिपोर्टिंग और व्यावसायिक योजना



बनाना।

6.9 कानूनी कार्यवाही और विवाद समाधान: कानूनी दावों को स्थापित करना, उनका प्रयोग करना अथवा उनका बचाव करना; नियामक जाँचों का उत्तर देना; और न्यायालय के आदेशों या नियामक निकायों के बाध्यकारी फैसलों का अनुपालन करना।

7. आपके व्यक्तिगत डेटा को शेयर करना

हम आपके व्यक्तिगत डेटा को प्राप्तकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों के साथ, पूरी तरह जानने की आवश्यकता के आधार पर तथा उचित सुरक्षा उपायों के अधीन, शेयर कर सकते हैं:

7.1 यूबीएल समूह की कंपनियाँ: हम एकिकृत बैंकिंग सेवाएँ, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रदान करने के प्रयोजनों हेतु, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड समूह की कंपनियों के तहत अन्य संस्थाओं के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं।

7.2 नियामक और सरकारी प्राधिकरण: हमें कानून द्वारा सीबीयूई, यूई वित्तीय आसूचना इकाई (यूईएफआईयू), राष्ट्रीय धन-शोधन निवारण, आतंकवाद के वित्तपोषण एवं गैरकानूनी संगठनों के वित्तपोषण के मुकाबले पर समिति (एनएएमएलसीएफटीसी), कर प्राधिकरणों (एफएटीसीए और सीआरएस प्रयोजनों सहित), न्यायालयों, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी शेयर करने की आवश्यकता है।

7.3 तीसरे-पक्ष के सेवा प्रदाता: हम अपनी सेवाओं के प्रदान करने में सहायता हेतु प्रतिष्ठित तीसरे-पक्ष प्रदाताओं को नियुक्त करते हैं, जिसमें भुगतान प्रोसेसर, कार्ड स्कीम संचालक (वीज़ा सहित), प्रोद्योगिकी और आईटी सेवा प्रदाता, क्लाउड सेवा प्रदाता, पहचान सत्यापन और केवाईसी सेवा प्रदाता, क्रेडिट संदर्भ एजेंसियाँ, धोखाधड़ी निवारण सेवाएँ, लेखापरीक्षा और परामर्श फर्म, और कानूनी सलाहकार शामिल हैं। ये पक्षकार, आपके डेटा की प्रोसेसिंग सिर्फ़ निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु तथा लागू कानून के अनुसार करने हेतु संविदात्मक रूप से बाध्य हैं।

7.4 संवाददाता और भागीदार बैंक: जहाँ लेनदेन हेतु संवाददाता बैंकिंग संबंधों की आवश्यकता हो, वहाँ लेनदेन को संसाधित करने हेतु आवश्यक अनुसार, संबंधित लेनदेन डेटा संवाददाता बैंकों के साथ शेयर किया जाएगा।

7.5 बीमा प्रदाता: आपके अकाउंट्स से संबंधित किसी बीमा उत्पाद के संबंध में, हम ग्राहक बीमा संप्रेषण की शर्तों के अधीन, नामित बीमा प्रदाता के साथ संबंधित डेटा शेयर कर सकते हैं।

7.6 क्रेडिट संदर्भ एजेंसियाँ: हम यूई में संचालित लाइसेंसप्राप्त क्रेडिट संदर्भ एजेंसियों के साथ, क्रेडिट जाँच करने और सीबीयूई विनियमों द्वारा अपेक्षित या अनुमत अनुसार अकाउंट्स के संचालन की रिपोर्ट करने हेतु जानकारी शेयर कर सकते हैं।

7.7 अन्य वित्तीय संस्थान: जहाँ विवादों की जाँच अथवा समाधान करने, धोखाधड़ी की रोकथाम करने, अथवा कानूनी दायित्वों का अनुपालन करने की आवश्यकता हो, वहाँ हम अन्य बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों के साथ जानकारी शेयर कर सकते हैं।

हम व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु आपके व्यक्तिगत डेटा को तीसरे-पक्षों को नहीं बेचते हैं। कोई भी प्रकटीकरण पूरी तरह लागू कानून और इस गोपनीयता नोटिस के अनुसार किया जाएगा।

8. व्यक्तिगत डेटा का अंतरराष्ट्रीय अंतरण

8.1 बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में, आपके व्यक्तिगत डेटा को यूई से बाहर स्थित प्राप्तकर्ताओं को अंतरित करना आवश्यक हो सकता है, जिसमें संवाददाता बैंक, यूबीएल समूह की कंपनियाँ, कार्ड स्कीम, अथवा अन्य अधिकारक्षेत्रों में क्लाउड सेवा प्रदाताओं सहित तीसरे-पक्ष सेवा प्रदाता शामिल हैं।

8.2 जहाँ हम व्यक्तिगत डेटा को यूई से बाहर अंतरित करते हैं, वहाँ हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पीडीपीएल एवं सीबीयूई की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हों। इन सुरक्षा उपायों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

8.2.1 पर्याप्त स्तर के डेटा संरक्षण वाले देशों को ट्रांसफर;

8.2.2 अनुमोदित अथवा मान्यताप्राप्त संविदात्मक खंड; यूबीएल समूह के अंतर्गत बाध्यकारी कॉर्पोरेट नियम;

8.2.3 अथवा संबंधित नियामकों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य अनुमोदित तंत्र।

8.2.4 जहाँ आपके बैंकिंग कारर के निष्पादन हेतु अंतरण आवश्यक हो (उदाहरण के लिए, स्विफ्ट अथवा संवाददाता बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भुगतानों का प्रोसेसिंग करने हेतु), ऐसे अंतरण संविदात्मक आवश्यकता के आधार पर किए जाएँगे।

8.2.5 आप खंड 17 में दर्शाए गए अनुसार हमसे संपर्क करके, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर सुरक्षा उपायों के संबंध में और अधिक जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।

9. व्यक्तिगत डेटा का प्रतिधारण

9.1 हम आपके व्यक्तिगत डेटा को उतने समय तक प्रतिधारित करते हैं, जितना उन प्रयोजनों को पूरा करने हेतु आवश्यक हो, जिनके लिए उसे संकलित किया गया था, जिसमें कानूनी, नियामक, लेखांकन अथवा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन भी शामिल हैं।

9.2 सीबीयूई की अपेक्षाओं और यूई एएमएल/सीएफटी कानून के अनुसार, हमें ग्राहक पहचान के अभिलेखों तथा लेनदेन के अभिलेखों को, व्यावसायिक संबंध की समाप्ति की तिथि से, अथवा प्रासंगिक लेनदेन की तिथि से, कम से कम दस (10) वर्षों तक, अथवा लागू कानून अथवा नियामक निर्देश द्वारा अपेक्षित ऐसी लंबी अवधि तक, प्रतिधारित करना आवश्यक है।

9.3 अकाउंट विवरण, पत्राचार और लेनदेन के अभिलेखों को आमतौर पर अकाउंट्स के बंद होने के पश्चात्, कम से कम दस (10) सालों तक प्रतिधारित किया जाएगा, जब तक कि कानून, विनियम या चल रही कानूनी कार्यवाही द्वारा लंबी अवधि अपेक्षित न हो।

9.4 जहाँ व्यक्तिगत डेटा का प्रोसेसिंग सहमति के आधार पर किया जाता है, वहाँ उसे तब तक प्रतिधारित किया जाएगा, जब तक सहमति वापस न ले ली जाए, जब तक कि निरंतर प्रतिधारण हेतु कोई अन्य कानूनी आधार न हो।

9.5 लागू प्रतिधारण अवधि की समाप्ति पर, हमारी डेटा प्रतिधारण नीति के अनुसार व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाया अथवा गुमनाम किया जाएगा, सिवाय ऐसी स्थिति के जहाँ किसी कानूनी दायित्व,

न्यायालय के आदेश अथवा नियामक निर्देश का अनुपालन करने हेतु प्रतिधारण आवश्यक हो।

10. पीडीपीएल के तहत आपके अधिकार

लागू कानून और पीडीपीएल के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन, आपके व्यक्तिगत डेटा के संबंध में आपको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

10.1 एक्सेस का अधिकार: आपको यह अनुरोध करने का अधिकार है कि क्या हम आपके व्यक्तिगत डेटा का प्रोसेसिंग करते हैं, इसकी पुष्टि प्राप्त करें, तथा यदि हाँ, तो उक्त डेटा की प्रति, उसके प्रोसेसिंग के तरीके के बारे में जानकारी सहित प्राप्त करें।

10.2 सुधार का अधिकार: आपको यह अनुरोध करने का अधिकार है कि हमारे पास रखे गए अधूरे या गलत व्यक्तिगत डेटा को बिना अनुचित देरी के सही या पूरा किया जाए।

10.3 मिटाने का अधिकार: आपको कुछ परिस्थितियों में अपने व्यक्तिगत डेटा को मिटाने अथवा नष्ट करने का अनुरोध करने का अधिकार है, उदाहरण के लिए जहाँ डेटा उस प्रयोजन हेतु अब आवश्यक न हो जिसके लिए उसे संकलित किया गया था या जहाँ आप सहमति वापस ले लेते हैं तथा प्रोसेसिंग हेतु कोई अन्य कानूनी आधार न हो। यह अधिकार हमारे कानूनी और नियामक प्रतिधारण दायित्वों के अधीन है।

10.4 प्रोसेसिंग के प्रतिबंध का अधिकार: आपको कुछ परिस्थितियों में हमारे द्वारा आपके व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को प्रतिबंधित करने का अनुरोध करने का अधिकार है, उदाहरण के लिए जहाँ आप डेटा की सटीकता पर विवाद करते हैं, अथवा जहाँ प्रोसेसिंग गैरकानूनी है किंतु आप नहीं चाहते कि डेटा मिटाया जाए।

10.5 डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार: जहाँ प्रोसेसिंग सहमति अथवा करार पर आधारित हो तथा स्वचालित साधनों से किया गया हो, वहाँ आपको अपने व्यक्तिगत डेटा को एक संरचित, सामान्यतः प्रयुक्त एवं मशीन-पठनीय प्रारूप में प्राप्त करने, तथा उस डेटा को किसी अन्य नियंत्रक को प्रेषित करने का अधिकार है।

10.6 आपत्ति हारने का अधिकार: जहाँ प्रोसेसिंग वैध हितों पर आधारित हो, अथवा प्रत्यक्ष मार्केटिंग प्रयोजनों हेतु प्रोसेसिंग किया जा रहा हो, वहाँ आपको अपने व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर आपत्ति करने का अधिकार है।

10.7 सहमति वापस लेने का अधिकार: जहाँ प्रोसेसिंग आपकी सहमति पर आधारित हो, वहाँ आपको किसी भी समय सहमति वापस लेने का अधिकार है, जिससे वापसी से पूर्व किए गए प्रोसेसिंग की वैधता प्रभावित नहीं होगी।

10.8 स्वचालित निर्णय लेने के संबंध में अधिकार: आपको यह अधिकार है कि सिर्फ़ स्वचालित प्रोसेसिंग, जिसमें प्रोफाइलिंग भी शामिल है, के आधार पर आपके संबंध में ऐसा निर्णय न लिया जाए, जिसका आप पर कानूनी प्रभाव पड़े या जो आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करे। हालाँकि, यह अधिकार तब लागू नहीं होगा जब ऐसा प्रोसेसिंग अनुबंध करने या उसे पूरा करने के लिए आवश्यक हो, कानून द्वारा अधिकृत हो, या आपकी स्पष्ट सहमति पर आधारित हो। आगे के ब्योरे नीचे खंड 11 में दिए गए हैं।

उपर्युक्त में से किसी भी अधिकार का प्रयोग करने हेतु, कृपया खंड 17 में दर्शाए गए अनुसार हमें लिखित रूप में अनुरोध प्रस्तुत करें। हम पीडीपीएल के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के अंदर, सामान्यतः वैध अनुरोध प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर, आपके अनुरोध का उत्तर देंगे। आपके अनुरोध को संसाधित करने से पूर्व, हमें आपकी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में, हम आपके अनुरोध को अस्वीकार करने के हकदार हो सकते हैं; यदि ऐसा होता है, तो हम इसका कारण लिखित रूप में स्पष्ट करेंगे।

11. स्वचालित निर्णय-निर्माण और प्रोफाइलिंग

11.1 हम क्रेडिट मूल्यांकन, धोखाधड़ी का पता लगाने, प्रतिबंध जाँच, तथा धन-शोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिम के आकलन के संबंध में, स्वचालित प्रोसेसिंग एवं प्रोफाइलिंग का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, स्वचालित प्रोसेसिंग से ऐसा निर्णय हो सकता है, जो हमारे उत्पादों एवं सेवाओं तक आपका एक्सेस अथवा उनकी शर्तों को प्रभावित करता है।

12. आपके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा

12.1 हम आपके व्यक्तिगत डेटा को आकस्मिक अथवा गैरकानूनी विनाश, हानि, परिवर्तन, अनधिकृत प्रकटीकरण अथवा पहुँच से सुरक्षित रखने हेतु उपयुक्त तकनीकी एवं संगठनात्मक उपाय लागू करते हैं। इन उपायों में डेटा को भेजते समय और सुरक्षित रूप से संग्रहीत करते समय उसका एन्क्रिप्शन, एक्सेस नियंत्रण, डिजिटल चेनलों के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण, हमारे परिसर में भौतिक सुरक्षा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और नियमित सुरक्षा आकलन शामिल हैं।

12.2 हमारी ओर से व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करने वाले सभी तीसरे-पक्ष सेवा प्रदाताओं को संविदात्मक रूप से यह अपेक्षित है कि वे समतुल्य सुरक्षा उपाय लागू करें, तथा केवल हमारे अनुदेशों पर डेटा की प्रोसेसिंग करें।

12.3 ऐसी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की स्थिति में, जिससे आपके अधिकारों और स्वतंत्रताओं को जोखिम उत्पन्न होने की संभावना हो, हम निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अपेक्षित अनुसार आपको और संबंधित सीबीयूई को सूचित करेंगे।

12.4 आप अपने बैंकिंग परिचय-पत्रों, पिन, पासवर्ड एवं एक-बार पासकोड की गोपनीयता बनाए रखने हेतु उत्तरदायी हैं। आपको इन्हें किसी भी व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, और यदि आपको यह विश्वास हो कि आपके परिचय-पत्र से समझौता किया गया है, तो आपको तुरंत हमें सूचित करना चाहिए।

13. कुकीज़ तथा ऑनलाइन ट्रैकिंग

13.1 हमारी वेबसाइट (www.ubldigital.com/uae-home) और डिजिटल चैनल कुकीज़ और इसी तरह की ट्रैकिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। कुकीज़ आपके डिवाइस पर रखी जाने वाली छोटी टेक्स्ट फ़ाइलें होती हैं, जो हमें वापस आने वाले विज़िटर्स को पहचानने, उनकी पसंद याद रखने और यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।

13.2 हम कुकीज़ की निम्नलिखित श्रेणियों का उपयोग करते हैं: (i) अनिवार्य रूप से आवश्यक कुकीज़, जो हमारे डिजिटल माध्यमों के कार्य करने हेतु आवश्यक हैं तथा जिन्हें निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है; (ii) कार्यात्मक कुकीज़, जो आपकी वरीयताओं एवं सेटिंग्स को याद रखती हैं; (iii) विश्लेषणात्मक कुकीज़, जो



हमें सेवाओं में सुधार हेतु उपयोग पैटर्न समझने में सहायता करती हैं; तथा (iv) तीसरे-पक्ष कुकीज़, जो हमारी वेबसाइट में एकीकृत तृतीय-पक्ष सेवाओं द्वारा सेट की जाती हैं, जिसमें लिंकडइन, मेटा (फेसबुक), तथा यूट्यूब शामिल हैं।

13.3 गैर-आवश्यक कुकीज़ आपके डिवाइस पर केवल आपकी सहमति से रखी जाएंगी, जो हमारे कुकी सहमति बैनर के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। आप अपनी कुकी सेटिंग्स तक पहुँच कर, किसी भी समय अपनी कुकी वरीयताओं को वापस ले सकते हैं अथवा उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान दें कि कुछ कुकीज़ को निष्क्रिय करने से हमारी डिजिटल सेवाओं की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

13.4 हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कुकीज़ के पूर्ण ब्लॉक हेतु, जिसमें कुकी के नाम, अवधि, प्रयोजन तथा तीसरे-पक्ष प्रदाता शामिल हैं, कृपया हमारी कुकी नीति देखें, जो www.ubldigital.com/uae-home पर उपलब्ध है।

14. मार्केटिंग संप्रेषण

14.1 हम आपको अपने उत्पादों, सेवाओं एवं प्रचारों के बारे में जानकारी भेज सकते हैं, जहाँ आपने अपनी सहमति प्रदान की हो, अथवा जहाँ हमारा मौजूदा ग्राहकों को समान उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन करने में वैध हित हो, आपत्ति करने के आपके अधिकार के अधीन।

14.2 आप किसी भी समय, निम्नलिखित द्वारा विपणन संप्रेषण प्राप्त करने से इनकार कर सकते हैं: खंड 17 में दिए गए संपर्क ब्लॉकों पर हमें लिखित रूप में सूचित करके; अपनी निकटतम यूबीएल यूई शाखा में जाकर; हमारी फ़ोन बैंकिंग सेवा पर कॉल करके; अथवा किसी भी विपणन ई-मेल में सदस्यता समाप्ति सुविधा का उपयोग करके।

14.3 मार्केटिंग संप्रेषण से इनकार करने से, आपके अकाउंट्स के संबंध में आवश्यक सेवा-संबंधित संप्रेषणों, जिसमें लेनदेन अलर्ट, अकाउंट विवरणियाँ, नियामक प्रकटीकरण तथा धोखाधड़ी की सूचनाएँ शामिल हैं, की डिलीवरी प्रभावित नहीं होगी।

15. उपभोक्ता संरक्षण तथा नियामक निगरानी

15.1 यूबीएल यूई, सीबीयूई द्वारा जारी उपभोक्ता संरक्षण विनियम तथा सभी संबंधित परिपत्रों और मार्गदर्शनों के अधीन है। हम अपनी सभी डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों में अपने ग्राहकों के साथ निष्पक्ष, ट्रांसपैरेंट और सम्मानपूर्ण व्यवहार करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

15.2 सीबीयूई उपभोक्ता संरक्षण मानकों के अनुसार, हम:

15.2.1 आपको इस बारे में स्पष्ट और सुगम जानकारी प्रदान करेंगे कि आपके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है;

15.2.2 आपके व्यक्तिगत डेटा का ऐसे तरीके से उपयोग नहीं करेंगे जो भ्रामक, अनुचित अथवा आपके हितों के विपरीत हो;

15.2.3 आपके व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग सिर्फ़ उन वैध प्रयोजनों हेतु करेंगे, जो आपको प्रकट किए गए हैं;

15.2.4 आपके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय लागू करना; और

15.2.5 आपके डेटा से संबंधित पूछताछ और शिकायतों का समय पर और ट्रांसपैरेंट तरीके से जवाब देना।

15.3 यदि आपके व्यक्तिगत डेटा को संभालने के संबंध में आपकी कोई शिकायत है, तो आप:

15.3.1 धारा 17 में दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग करके हमें शिकायत भेज सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण और SANADAK की आवश्यकताओं के अनुसार, हम आपकी शिकायत प्राप्त होने के दो (2) कार्यदिवसों के भीतर उसकी पुष्टि करेंगे और पंद्रह (15) कार्यदिवसों के भीतर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे;

15.3.2 यदि आपकी शिकायत का समाधान आपकी संतुष्टि के अनुसार नहीं होता है, तो आप अपनी शिकायत सनादक, सीबीयूई के लोकपाल इकाई के पास भेज सकते हैं, या www.sanadak.gov.ae/ पर जा सकते हैं या 800SANADAK (800 72 62325) पर कॉल कर सकते हैं; या

15.3.3 जहाँ लागू हो, पीडीपीएल के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग पीडीपीएल के तहत स्थापित यूई डेटा कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत करके करें।

16. इस गोपनीयता सूचना में बदलाव

16.1 हम अपनी डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं, लागू कानून, नियामकीय आवश्यकताओं या हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में बदलावों को दर्शाने के लिए समय-समय पर इस गोपनीयता सूचना को अपडेट कर सकते हैं। इस सूचना के शीर्ष पर दिया गया "प्रभावी तारीख" यह बताता है कि सबसे हालिया संशोधन कब किया गया था।

16.2 हम इस गोपनीयता सूचना में महत्वपूर्ण बदलावों की सूचना अपनी वेबसाइट और डिजिटल चैनलों पर प्रमुख सूचना प्रदर्शित करके; आपके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट या आपके पंजीकृत ईमेल पते पर ईमेल भेजकर; या लागू कानून के अनुसार आवश्यक किसी अन्य माध्यम से देंगे।

16.3 धारा ए ("सामान्य नियम और शर्तें") की धारा 34 के अनुसार, आपके पंजीकृत पते, ईमेल या एसएमएस नंबर पर बैंक की सूचना जारी किए जाने के बाद, इस सूचना में किसी भी संशोधन, बदलाव या पूरक के लिए साठ (60) दिनों की सूचना अवधि लागू होगी। सूचना अवधि समाप्त होने के बाद भी हमारी बैंकिंग सेवाओं का आपका निरंतर उपयोग संशोधित गोपनीयता सूचना की आपकी स्वीकृति माना जाएगा। आपके नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद भी हमारी बैंकिंग सेवाओं का आपका निरंतर उपयोग संशोधित गोपनीयता सूचना की आपकी स्वीकृति माना जाएगा।

16.4 हम आपको गोपनीयता सूचना की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सबसे हालिया संस्करण www.ubldigital.com/uae-home पर और अनुरोध करने पर हमारी शाखाओं में उपलब्ध होगा।

17. संपर्क और डेटा गोपनीयता से संबंधित पूछताछ

इस गोपनीयता सूचना या आपके व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ, अनुरोध या

शिकायत के लिए, कृपया निम्नलिखित विवरण का उपयोग करके हमसे संपर्क करें:

यूनाइटेड बैंक लिमिटेड – यूई

डेटा सुरक्षा अधिकारी

वेबसाइट: www.ubldigital.com/uae-home

ईमेल: dpd_uae@ublint.com

फोन बैंकिंग: यूबीएल, यूई की वेबसाइट और शाखाओं पर दिए गए विवरण के अनुसार

शाखा: कोई भी यूबीएल यूई शाखा – व्यक्तिगत रूप से डेटा संबंधी अनुरोधों के लिए, कृपया वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएँ।

SANADAK को शिकायतों के लिए:

वेबसाइट: www.sanadak.gov.ae/

टोल-फ्री: 800 SANADAK (800 72 623 25)

18. लागू कानून और क्षेत्राधिकार

यह गोपनीयता सूचना यूई के कानूनों द्वारा शासित है।

इस गोपनीयता सूचना से उत्पन्न या इसके संबंध में पक्षों के बीच कोई भी विवाद यूई की अदालतों के गैर-अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा, जो सीबीयूई या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के किसी नियामकीय या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

19. स्वीकृति

ग्राहक ने उपरोक्त नियम और शर्तों तथा इस गोपनीयता सूचना की स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए अकाउंट खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। टैबलेट पर ई-सिग्नेचर के माध्यम से अकाउंट खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर करके या यूबीएल यूई की बैंकिंग सेवाओं का उपयोग जारी रखकर, आप समय-समय पर अपडेट की गई गोपनीयता सूचना की शर्तों से अप्रत्यक्ष रूप से सहमत होते हैं।

© 2026 यूनाइटेड बैंक लिमिटेड – यूई। सर्वाधिकार सुरक्षित।